में देर हो गई । देर होने का एक ही कारण था कि वह पूरक मांगें इस सदन में रखने से पहले लोकसभा में भी रखनी थीं क्योंकि यह आज की सूची में वहां दर्ज थीं । वहां मुझे करीब 2 बजकर 35 मिनट पर बुलाया गया । इन्हें वहां पेश करने के बाद सीधा मैं उस सदन से इस सदन में आया हूं ।

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra):*

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. It won't go on record. It is not going on record. It will not be reported anywhere. So please take your seat. Now Shrimati Jayanthi Natarajan. The National Commission for Women Bill, 1990. (*Interruption*). Don't interrupt Women's Commission.

THE NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN BILL, 1990—Contd.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Who is the Minister handling women?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The lady is there. There are many people who handle things. Shrimati Jayanthi Natarajan. (*Interruption*). Mr. Vishvjitji let her speak. Don't brief her now on women's affairs. There is one hour and 50 minutes allocated for the Congress party. I have nine Members listed. I would likt you to accordingly divide your time so that others are not deprived of it. I am just telling you in advance.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Madam, I rise to support the Bill and the party to which I belong is also supporting the Bill.

Madam, I feel that there are several loopholes and several deficiencies in the Bill which we need to talk about and if possible, I would call opon the Government and my colleagues on the other side to rise above political differences and sort out whatever loopholes are there and take in the amendments that we may bring forward.

Throughout the world, girl children are born in shackles. They live in male-dominated servitude for most of their lives. In recent years, ...(*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: No interruption when we are discussing the National Commission for Women Bill. No gentlemanly interruption. (*Interruption*). It will be very ungentlemanly.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, ...(*Interruptions*)...but the women's segments of the population have still to secure their freedom, both physilally and psychologically...(*Interruption*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Protect the women.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: ... and still they live in fetters. All man-made laws and social conventions ensure the dominance of men over women and the domination beings even before birth. (*Interruption*).

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh) ...about Muslim's rights. It is your party.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I was not a party to that. Mathur Sahab, I would say this even before I continue. I do not want to get distracted again. This is an issue which is not a political issue. You are referring to the Muslim Women's Bill. I myself was against it. I was not a part of it. I condemn it today. And I asked the Prime Minister. the present Prime Minister. The National Front made a song and dance about the Muslim Women's Bill. Mr. Arif Mohd. Khan said he resigned because of the Muslim Women's Bill. I asked the Prime Minister in Parliament whether he is willing to repeal the Muslim Women's Bill and he refused. He said that he would not do it. Will you withdraw support, Mr. Mathur, to this Government because the Prime Minister refused to do it? Will your BJP withdraw support today? Will the BJP do that? They are just supporting the Government.

*Not recorded.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: They are supporting the Government against you. (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Please do not distract me like this. Let me lay out all the instances of what the Prime Minister is doing for women.

[THE VICE-CHAIRMAN (Shri Shan-Kar Dayal Singh) in the Chair]

There is no need for you to interfere without knowing what this Prime Minister is doing to women in this country. Let up not have any more talk about what the Congress did. Please remember hat you are now in power and not the Congress and the women of this country. look upon this Government. ...(*Interruptions*)...If I am interrupted, Sir, I will have to reply. And this is very much to the point. It is very much to the point that the Prime Minister of the country is not willing to repeal the Muslim Women'e Bill even though they came to power after critising the Congress Government for bringing this Bill and all the women in the Congress opposed the Muslim Woment's Bill, but unfortunately there are people here and there are people there also and let us not create issues like this. ....(*Interruptions*)... Sir, I want to say this. I condemn all kinds of atrocities against women and it is not a political issue. I would request my colleagues to kindly listen to the thing in the same light as I am bringing it forward. The atttitude of men towards women and of boys towards girls even before their birth is one of total domination and I want to set before you a few instances of their condition right from the time of their birth until the time of their death, the cause of their death through *Sati*, the domination, the servility and the total suppression of women which is going on in this country. There is, it is no dearth of laws. The point I am going to make is it is not a question of implementation of the laws. If a collector were to make an anthology of all the laws relating to the protection and safeguards of women in this country, he would have an anthology that far exceeds any other collection anywhere in the world, but all that these laws are good for is that they have a good shelf-life; they stay on the statute shelf, they never get implemented, nobody takes them seriously and for all that they are worth, they are stacked from end to end, these poor women would not even be allowed to use them as kindlings. They have a good statute-life on the shelves, but if they want to do any little bit for the lot of the 50 per cent population of this country which is living in such abject drudgery, they should implement these laws. Sir, I want to bring to the notice of this House the fact that there must be a political will to implement the laws which are made in favour of women, which are made to bring women forward in the national stream, which are made to bring women out of the servile existence in which they live in this country, there has to be a political will on the part of the Government to implement them and it is in this regard I want to share with this House my deep worry and concern over the attitude of this Government in general and of the Prime Minister in particular towards the status of women. Sir, I don't have to remaind the House that even before he became the Prime Minister, Mr. V. P. Singh presided over the Janata Dal Women's Conference in Bombay and at that Conference, a part of the resolution called for a uniform civil code; the Prime Minister at that time asked those women to delete it and to their eternal shame and his, that provision for uniform civil code was deleted from resolution of the Janata Dal Women's Conference. If this is the attitude of the Prime Minister, if this is the person who has become the Prime Minister of India, I shudder to think what the future of women in this country is going to be. Then Sir, what the future of women in this country is going to be. Then Sir, what did he do next? He made as Deputy Prime Minister, Mr. Devi Lal, a man who brought in a legislation in Haryana to remove property rigsts for women. He made him Deputy Prime Minister, and the moment he raised the issue of Mandl Commission, he sent him out. ... (*Interruptions*) ...

AN HON. MEMBER: Don't disturb her.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, I am not going to speak if I am disturbed like this again and again. I am not going to speak ... (*Interruptions*) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): No, no, I only want to request you—already the Deputy Chairman has told you—that as we have got a limited time for discussion on this subject, you should be brief in making submissions. At 5.00 P.M. the Prime Minister is going to make a statement. I would only request all the speakers that they should be pointed in their submissions because we are taking the National Commission for Women Bill, 1990 for discussion very seriously. So I would also request you Madam, since you are initiating the debate, instead of wasting your time on this or that, you should continue your speech on the subject.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I am sorry that you have made that observation. I feel with great respect to the Chair that when the Prime Minister of the country has a feudal attitude towards women, the whole question of implementation of laws against atrocities on women would have no success at all. I think it is extremely relevant. (*Interruption*) I request that I should be allowed to make my points and I should be heard and I should be allowed to put forward my point of view and my genuine worry about the attitude of this Prime Minister towards women in the country. If I say something which is unparliamentary, you can give a ruling that it should be removed from the record. But I insist on being allowed to speak and I think it is relevant. And if you are going to rule it irrelevant and rule it out of record, I am in your hands, at the mercy of your ruling. I say that this is the feudal attitude of the Prime Minister where the Prime Minister makes Deputy Prime Minister a person who wanted to take away the property rights of women. I wish a woman Cabinet Minister to be here. Even the lady Minister who is present here had threatened to resign, may be just like Devilal. When Devilal threatened with a rally the Prime Minister brought in the Mandal Commission Report. Does he want us to bring in more and more women in a rally for giving us reservations? But so long as women are faceless and vioceless, we cannot incite communal passions, we cannot incite farmers, and bring people in a rally here. But you can take it for granted that the women of this country will not keep quiet. We ask the Prime Minister to make reservations for women just as he did for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Prime Minister said there was no question of making such reservations for women. In the very first speech in the Lok Sabha the Prime Minister mentioned not a single word about women. Gita Mukherjee had to get up and remind him about the omission. When the Prime Minister came to Rajya Sabha he exhibited such a patronising attitude when my learned colleague, Saroj Khaparde, asked him about jobs for women, what kind of jobs he was planning to give to women. In his speech in Rajya Sabha he said, "We are not going to give them jobs which make them stand behind guns.", while, in fact, women all the time are subjected to heavy physical work in the country like construction labour, agricultural labour and so on; all that work is done by women. Therefore, his attitude is not only totally feudal, he seems to be having no conception of how to go about women's problems. I feel sorry that we are now at the mercy of somebody who has an approach like this towards women's problems. Look at the shocking rise of atrocities against women. Looking at these atrocities I ask myself: Why is it that just as soon as we have the present Prime Minister, immediately after he became the Prime Minister, there have been 15 to 16 cases in his own constituency of crimes against women, of Kuchidevi, a pregnant woman, being raped, for example? Everyday we hear of such crimes. Now we have an incident in Gujraula where the nuns were raped And the administration has the guts to come before Parliament and say that they were not raped, that the medical

[Shrimati Jayanthi Natarajan]

reports showed that they were not raped. Everyday we read instances of rape. Even today's newspapers carried an item about a security assistant of the Dalai Lama. Why is it so? It is because of the atmosphere in the country, it is because of the feudal atmosphere in the country, it is because of the feudal elements in the country. Now all the age-old elements which had been lying dormant all these years have suddenly started rearing their heads now a Prime Minister who is not doing anything against crimes against women. Has anything been done in Kuchidevi's case? Has anything been done in any of the 15 cases, leave alone about the atrocities in other places? In the Prime Minister's own constituency he is not able to protect women. If he is not able to protect women in his own constituency, how is he going to protect women all over India And then, who are the people who are supporting this Government? We all know what is happening in West Bengal. We all know what happened in Batala, in Birat. We all know what happened to Mamta Banerjee. Just now Mr. Mathur interrupted me. We all know what is happening in Madhya Pradesh where his party is in power, in Salava... (*Interruption*).

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Why don't you say something about what happened in other States? What about Tripura?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I admit it. (*Interruption*). There are incidents that have occurred in Tripura, I admit that. I admit that people who were responsible for it, action should be taken against them. .

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Why are you selective?

SHRIMATI JAYANATHI NATARAJAN: Please let me make my speech. I condemn such incidents anywhere. I feel wherever it is happening, stern action should be taken against those responsible...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Why are you selective?

SHRI PRAMOD MAHAJAN (Maharashtra): Why name only a few States? (*Interruptions*) Why are you specifying a particular State run by the B.J.P.? Why do you delete the other States? (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I am mentioning Tripura also. (*Interruptions*).

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : देखिए, जब कोई महिला सदस्य महिलाओं के संबंध में इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोल रही हों तो माननीय पुरूष सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे उत्तेजित न हों।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, I am not interested in singling out anybody. But the point is, if the people in authority have this sort of attitude towards women, how can we ensure the implementation of these laws? What is the use of having many laws when they are not worth the paper on which they are written? For instance, the Chief Minister of Kerala, Mr. Nayanar, says that rape is just like drinking a cup of tea (*Interruptions*).

SHRI P. K. KUNJACHEN (Kerala): You are misrepresenting. He has denied it several times. He never said it. (*Interruptions*) I was there. The Chairman of the House was there in the meeting. (*Interruptions*).

SHRI M. M. JACOB (Kerala): It was reported in all the newspapers. Editorials were also written on it. (*Interruptions*)

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, आपके अनुरोध के बावजूद उधर के पुरुष सदस्य टोकाटाकी कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : आप इस तरह से मजाक क्यों कर रहे हैं.... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मैं श्रीमती जयन्ती नटराजन से अनुरोध करूंगा कि वे शांतिपूर्वक अपनी बात कहें, कोई उनको इन्टरप्ट नहीं करेगा।

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : क्या महिला सदस्या को गलतबयानी करने का अधिकार है ? . . (व्यवधान) . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करूंगा कि जब आपकी बारी बोलने की आएगी तो आप अपनी बात कह दें, अभी उनको बोलने दीजिये । (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I make the statement with a sense of complete responsibility and I stand by it. It was reported in all the newspapers. I stand by what I said. If the Chief Minister of a State thinks that rape is like drinking a cup of tea, shame on him. People in authority should not make this kind of a remark. (*Interruptions*). There was the rape of one Thankamma, in Kerala. I would like to know whether any single person has been arrested in this rape case? This was mentioned in the election manifesto itself, that they would bring the culprits responsible for this to book. Has any single person been arrested in this case in which policemen themselves were the culprits. Some policemen raped the woman. What is the use of shouting? Let Mr. Nayanar say whether a single person has been arrested so far in this case. I would not say anything more about him. (*Interruptions*). It is not enough to just shout. The Government in Kerala came to power more than three years ago. Has any single person been arrested in the Thankamma rape case?

SHRI P. K. KUNJACHEN: Yes. (*Interruptions*). How can the hon. Member make this kind of a wild allegation? (*Interruptions*).

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, on a point of order. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): I am not going to allow anybody. Mrs. Natarajan, please continue and conclude your speech.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Please allow me to speak. I have just begun.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Simply because she is a lady, she cannot go on saying anything. (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I would like to see you stop me from speaking. I challenge. You cannot stop me from speaking. (*Interruptions*). Sir, if you are going to bring the House to order, I will speak. Otherwise, I will not speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Nobody is going to interrupt you. (*Interruptions*). I have already requested you all. Kindly hear her. If there is anything, you can have your say later on. Mrs. Natarajan, you have now to continue and conclude, both.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I have initiated this debate. It is my party's time. I will speak. I have not exceeded my party's time. We have one-and a-half hours. Sir, I was saying that the status of women in this country is truly pathetic, even before birth. We say that the Constitution itsef provides equally for women. (*Time bell rings*).

No, Sir. I have not yet begun. I have just begun. This is party time.

Sir, in the Constitution woman has been mentioned only six times, and 5 times out of 6 women are clubbed with men and children. And it is only in the provision relating to the maternity benefits that women have been mentioned wholly and exclusively. And later if you go through all the laws you will find that the laws are totally paternalistic, and that even with regard to to the law of rape it is patriarchal attitude where the offence of rape is not considered to be a rape against women but it is considered to be an offence against the property of another man Sir, if you look at the report of the Law Commission, that itself shows that it is totally a patriarchal attitude. I do not want to read it. It says, for instance, that the Prevention of Illegal Traffic Act be included in the Indian Penal Code; the mem-

[Shrimati Jayanthi Natarajan]

bers of the Commission note that the prostitution is 'for the greater good of the family' and must therefore be 'tolerated' by society. This is what the Law Commission says. This is the basis on which our laws are made in India. This is the reason why women are in this state today. Sir, even before birth women are discriminated against. Female foetuscide is going on. It costs only Rs. 5000 to find out whether a foetus is male or female and get the female foetus aborted. More than 78,000 foetuscides are carried out every year. Since the Sharada Act came into existence in 1920, you find that over 10 million women are married by the time they are 11 years old. This is the survey conducted by the Family Foundation of India. Sir, only 4 per cent are the girls who are workers and only 2 per cent of the workers are boys. Sixty nine per cent are the girls enrolled in primary schools but 99 per cent of the boys are enrolled in primary schools. Since 1981 there has been a decline in the work participation. There are 45 million women as against 222 million men. Ninety per cent of the workers in the unorganised sector are women and 90 per cent of the workers in agriculture are women. In the organised sector only 13.3 per cent of all employees are women. This is the status of women today.

Since you have pressed the bell, I don't want to go into each of the issues that confront the women today. All I can say is that unless we make a serious effort to set things right by genuinely implementing the laws and political will, it is not possible to continue.

Sir, if you take the Bill what happens is that the most important issue in the Bill is only recommendatory in nature; it is not mandatory. Since Independence over 2500 recommendations have been documented, have been made in favour of women. So that women can develop and get absorbed in the national mainstream. Most of the recommendations have been repeated again and again. But after that they are not implemented at all. Now, two thousand and five hundred recommendations are with the Ministries of the Government but they are not implemented because they are recommendatory and not mandatory in nature. Therefore. the greatest drawback of the Bill, I feel, is that the recommendations of the Commission are not mandatory in nature but they are only recommendatory.

All other Commissions like the SC&ST Commission have constitutional status but I think it is very unfortunate that the Women's Commission alone does not have such status. So it must be given constitutional status.

Another important lacuna in the Bill that I want to point out is about the resources of the proposed Commission. Unless the Commission has resources, unless the Commission has money, it is impossible for the Commission to function. Then it can't go straightway into the fields and reach the poorest of the poor women for whom the help is really needed. Sir, I have not seen the Financial Memorandum over here. But I saw the Financial Memorandum submitted with the Bill in the Lok Sabha. If I am correct, two crores of rupees are set aside for this Commission as both recurring and non-recurring expenditure for this year. You have forty crores of women. What are you going to do with two crores of rupees? I think it is a joke if you distribute 2 crores of rupees for the needs of 40 crore women. It becomes a fraction of a decimal. We are making a laughing stock of the Women's Commission. How do you, expect it to function? Therefore, I demand that the resources for the Women's Commission should be a part of the Eighth Plan outlay. In fact, I have given an amendment also. (*Time bell rings*). I have only one more point, Sir. We should have a share in the development of this country. The Commission should get its resources directly from the Eighth Plan. It is only when this amount of money is given and when we actually participate in the development of strategy as the Commission has allowed us to participate in the development of strategy that it will be of any use at all or will have any value to the women in the country.

The other very important point that I wish to make is that Chapter III says that the Commission has so many functions. I think Chapter III should be called "Powers and Functions of the Commission" because as it is at present, it means that is enough that women have just function. They should just work. They should do (a), (b), (c), (d) etc. but they should not have any powers at all. That is what is reflected in the Bill. I think the Commission should have powers as well. One of the most important powers of the Commission should be the power of the court.

Sir, before I conclude, I would just make a reference to what the Minister said at a Press Conference. The powers of a court are very important and the Commission should also have the right to move the court directly in case of any kind of violation of women's rights. Unless powers are given to the Commission, merely giving them functions is of no use at all.

Sir, the Commission is supposed to undertake promotional and educational research to identify factors impeding women's advancement such as lack of housing, basic services, etc. I think it is not necessary. I think it should be worded completely differently. All these issues which have been set aside for promotional and educational research are already part of one document or one policy statement or another. These are already in the care of the various departments of the Government of India. By just pushing them all to the Commission, I think the Government is trying to abdicate its responsibility. They don't want to have control over it any more. They are pushing it on to the Commission. I think these policy statements should stay as they are and the Women's Commission should concentrate on other things.

Sir, the last point I want to make is about the appointment of the Chairperson. I have serious objections. There are reports in the press that a *mahila member* belonging to the Janata Dal should be appointed. The name of Mrs. Dandavate is given. I have the greatest respect for her. I know that she has been associated with women's issues for many years and that she has been a very conscientious worker for women's issues. I have the greatest respect for her. With great respect, I want to submit to the House that instead of bringing in the political people to head the Commission, you should have somebody who is non-political so that every woman has confidence in the Government. It is not a personal thing against Mrs. Dandavate at all. I just feel that this person should be ... non-political and nobody belonging to a political party should be appointed. The appointment of the Chairperson should be done by a committee.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आपने अपने दल का बहुत समय ले लिया है ।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I have only one more point. Sir, in Australia they passed an Affirmative Action Act, 1986 by which the private sector firms with 100 employees or more and all the higher educational institutions have to devise plans to remove any barrier or obstacle to equal employment and to promote employment of women in all areas. I think India needs a Bill like this so that nobody can take refuge and subvert laws. Even the laws which are designed to protect women employees have been suverted by the employers who work them out for the disadvantage of women. Therefore, I say that there is need for an Affirmative Action Act so that women can be brought into the mainstream of national society.

श्रीमती कमला सिन्हा : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए पुकारा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं । यह विधेयक, नेशनल कमीशन फार वूमेन बिल, 1990 नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है, हमारी बहन श्रीमती ऊषा सिंह ने हमारे सदन में इसको रखा है, मैं इसके लिए अपनी बहन और श्री राम विलास पासवान जी को तथा हमारे प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं । मैं दूसरी बात कहने से पहले मेरी पूर्व वक्ता श्रीमती जयन्ती नटराजन ने कुछ बातें कहीं, मैं उनके ऊपर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं । महोदया, हम जानते हैं हमारे देश में एक बहुत नामी प्रधान मंत्री थीं श्रीमती इंदिरा गांधी जिनके प्रति मुझे भी श्रद्धा है और हमारे विरोधी पक्ष के सभी लोगों की तो है ही ।

[श्रीमती कमला सिन्हा]

मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी पूर्ववक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मोर्चा के प्रधान मंत्री का फ्यूडल एटीट्यूड है, जितनी और शिकायतें हो सकती थीं, उन्होंने कीं श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं महिला थी उनका कोई फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड नहीं था बल्कि सोशलिस्टिक एटीट्यूड वाली वे थीं लेकिन ऐसा समाजवादी एटीट्यूड रखने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी ने महिलाओं के लिए क्या किया था? (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे : आपको पता नहीं है क्या किया था । आपको पता नहीं होगा । मिसेज गांधी ने देश की महिलाओं के लिए क्या नहीं किया... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : कृपया शांति रखें । महिलाओं में आग मत गूंथिए... (व्यवधान) ...ठीक है मैं समझ गया । मैं माननीय सदस्या कमला सिन्हा जी से यह कहना चाहूंगा कि आप शांतिपूर्वक अपनी जो बात कहना चाहती हैं कहें, अच्छा हो कोई ऐसी बात न कहें जिससे कोई कंट्रोवर्सी शुरु हो । इस तरह आप अपनी बात कहें तो ठीक बात होगी । किसी कंट्रोवर्सी में जाने की जरूरत नहीं समझता । इसलिए आप अपना भाषण कंटीन्यू करें ।

SHRI S. JAIPAL REDDY: It is atrocities of women against women!

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इंदिरा गांधी जी ने इतना तो किया कि 5—5 कन्याएं उठती हैं । इतना तो उनको मानना चाहिए ।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश): यह पूछें कि महिलाओं के लिए क्या नहीं किया महिलाओं के लिए इतना कुछ किया । हम नाशुक्रगुजार नहीं हैं। उस पर मैं एक शेर आपको सुनाती हूं ।

श्रीमती कमला सिन्हा : . . . (व्यवधान) इतना तो जरूर किया इंदिरा गांधी जी ने और मेरे जैसे हजारों लोगों को जेल में रखा था... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : सरला जी, इसके बाद आपको भी समय मिलेगा। कमला जी आपका समय बरबाद हो रहा है। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्रीमती कमला सिन्हा : महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस देश में सचमुच में इससे पहले महिलाओं का कोई हिमायती हुआ था, महिलाओं का रक्षक हुआ था, महिलाओं के हितों की कोई बात करने वाला था तो वे महात्मा गांधी जी थे . . . (व्यवधान) आप चुप रहिए। उनके विचार वाली है। हमें मालूम है कि आप उनके विचारों को कितना मानती हैं। चुप रहिए आप . . . (व्यवधान)

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : महात्मा गांधी का नाम भी नहीं लेना चाहते . . . (व्यवधान)

श्रीमती कमला सिन्हा : महोदया, हम जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है। किसी जमाने में आर्य सभ्यता के शुरु के दिनों में महिलाओं की स्थिति जरूर अच्छी थी लेकिन कालक्रम में, मैं इतिहास की लम्बी कड़ी में नहीं जाना चाहती हूं, परिस्थितियां बदलती गयीं और हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण होते गये तो हमारी परिस्थिति बदलती गयी। अंत में यह स्थिति बनी कि हमें चारदीवारी के अंदर रखा गया और यह कहा गया कि कन्या पिता की सम्पत्ति है, पत्नी पति की सम्पत्ति है और माता पुत्र की सम्पत्ति है। तो हम किसी की सम्पत्ति बनकर रह गये अपने सारे अधिकार खोकर इस परिस्थिति से हम गुजर रहे थे तो स्वराज्य का आंदोलन आया और उसमें महात्मा गांधी ने महिलाओं को पुकारा। और महिलाओं ने भागेदारी ली और हिंदुस्तान में हमें एडल्ट फ्रेंचाईज मिला, मतदान देने का अधिकार मिला। लेकिन केवल वोट डालने से सब कुछ मिलता है क्या? संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, क्या वह अधिकार हमें उपलब्ध है? यह उपलब्ध नहीं है।

महिलाओं ने बारम्बार अपनी बात को कहा कि हमें कुछ अधिकार दिया जाए, हम अपनी बात करना चाहती हैं, हम अपनी समस्याओं से झूझना चाहती हैं, उनको

मिटाना चाहती हैं। हमारे प्रति जो अन्याय और अत्याचार होता है, उसको हम मिटाना चाहती हैं और 1971 के साल में स्टेटस आफ विमन कमेटी बनाई गई। 1975 में उसकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में कुछ बातों को कहा गया था।

स्टेटस आफ विमन कमेटी ने बहुत अच्छा रिपोर्ट दिया, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं की स्थिति क्या है, कहां किस तरीके से वह काम करती है, पिछड़े वर्ग की, मध्यम वर्ग की और उच्च वर्ग की महिलाओं की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, प्रत्येक के बारे में वह एक बहुत अच्छा चित्रण है। आज भी उस स्थिति का परिवर्तन नहीं हुआ है। स्टेटस आफ विमन कमेटी ने 1975 में जो रिपोर्ट दिया और यह कहा कि एक महिला का कमीशन बनना चाहिए—नेशनल कमीशन आफ विमन बनना चाहिए, लेकिन उस समय हमारी तत्कालीन प्रधान मंत्री ने क्या किया?

स्टेटस आफ विमन कमेटी का रिपोर्ट उन्होंने नहीं माना। वह स्वयं महिला थीं, लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट को नहीं माना और क्या बनाया—एक नेशनल विमन्स कमेटी बनाई। मैं भी उस विमंस कमेटी की मेम्बर थी। उस विमंस कमेटी ने बारम्बार यह कहा कि महिलाओं के लिए एक कमीशन बनना चाहिए, जिसमें महिलाओं को अपने बारे में बात करने का अधिकार हो, अपनी समस्याओं के निदान का रास्ता वह ढूंढ सकें, लेकिन यह संभव नहीं हुआ।

इसी संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि उसके थोड़े दिन पहले इंटर-नेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन ने महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले, यह कनवेंशन पारित किया था। हिंदुस्तान चूंकि उसमें भाग लेता है और हमारी सरकार ट्राइपार्टाइट बाडी में रहती है आई. एल. ओ. में तो यह प्रतिबद्धता थी। इस देश में समान वेतन अधिनियम जरूर पारित हुआ—ईक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, 1976 लेकिन आज के दिन में भी—उस समय 1976 में भी प्रधान मंत्री जी श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं उन दिनों—नाम लेने से विपक्ष के लोगों को बिजली लग जाती, लेकिन मैं सत्य बात कर रही हूं, कामकाजी महिलाओं की बात कर रही हूं। उस समय 1976 में समान वेतन अधिनियम नियम पारित हुआ, लेकिन कितनों को समान वेतन मिलता है?

आज भी आप चले जाएं संगठित क्षेत्र में भी, तो आप देखेंगे, महिलाओं को कम पैसा मिलता है, पुरूषों को ज्यादा पैसा मिलता है। असंगठित क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो महिलाओं का तो विचार ही नहीं है।

महोदया, हम बिहार से आते हैं, आज के दिनों में खेतों में धान रोपण हो रही है। दिन भर कमर झुका करके औरतें धान की खेती में धान का रोपा करती हैं। अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को पुरूषों से काफी कम पैसा मिलता है। पुरूषों को अगर 15–20 रूपये मिलेगा, तो उसी जगह में एक नारी को 10–12 रूपये मिलेगा। तो महिलाओं के ऊपर उस समय जब श्रीमती इन्दिरा गांधी सर्वशक्तिमयी थीं, उस समय वह जो चाहतीं, कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि वह महिलाओं की एक मात्र प्रतिनिधि थीं। बाकी महिला मर जाए, कट जाए, दुर्दशा भोगे, इसके लिए उनको कोई परवाह नहीं थी।

इस महिला कमीशन का उस समय जो रिकोमेंडेशन दिए थे, स्टेटस आफ विमंस कमेटी ने, वह फिर से.. **(व्यवधान)** एक और कमीशन बना कुछ दिनों पहले। वह कमीशन था सेल्फ-इंप्लायड विमन कमीशन—स्वयं रोजगारी महिलाओं का एक कमीशन जिसकी रिपोर्ट आई, श्रम-शक्ति

आप में से बहुतों ने उसको देखा होगा। श्रम-शक्ति में जो रिपोर्ट आया, उसमें यह कहा गया कि महिला कमीशन बनना चाहिए। श्रम-शक्ति का रिपोर्ट आज से तीन साल पहले आया था। तो उस वक्त भी कुछ नहीं किया गया। उसके बदले क्या

[श्रीमती कमला सिन्हा]

उसके बदले क्या किया गया—12 इयर्ज पर्सपैक्टिव फार विमन— वह कागज भी मैंने देखा—बारह साल में महिलाओं के विकास का काम करेंगे। वह बात जाने दीजिए। अब हमारे सामने यह विधेयक आया है नेशनल कमीशन फार विमेन बिल आया है। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और पूरी तरह से समर्थन करने के साथ-साथ मेरे मन में कुछ संदेह है, मैं उसके बारे में चाहूंगी कि मेरी सरकार उसका निराकरण करे। एक तो जो चैप्टर सैकण्ड में, नेशनल कमीशन फार विमेनइसमें:

The Commission shall consist of a Chairperson,

और 5 मैम्बर्ज/पिछले महीने की 28 तारीख को एक सम्मेलन बुलाया गया था पूरे देश के महिला संगठनों का, सरकारी लोगों का, सांसदों का और अन्य वालंटरी आर्गेनाइजेशंज के रिप्रेजेंटेटिव्ज का, तो उसमें भी मैंने कहा था कि 5 सदस्य नहीं, इसके 11 सदस्य होने चाहिएं। मैं आज भी यह कहना चाहती हूं कि अगर निकट भविष्य में यह विधेयक पारित होने के बाद इसकी आवश्यकता है और आवश्यक हो तो अमेंडमेंट लाकर सरकार 7 से 11 सदस्य इसके बनाए। क्या मैं कहती हूं 11 सदस्य, इसलिए कि एक तो अध्यक्ष हो जाएंगे चेयर पर्सन, दूसरे एक मैम्बर सेक्रेटरी हो जाएंग, बाकी बचे 5, उनमें से एक प्रतिनिधि शड्यूल्ड कास्ट के होंगे, एक शेड्यूल्ड ट्राइब से होंगे तीसरा प्रतिनिधि अगर मुझे यह करना, होता तो मैं कहती कि माइनारिटीज को भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए। तो बाकी कितने बचे ? दो जगह बचीं और आपने कितना दिया हैं, किसको-किसको आप चाहते हैं, किसका प्रतिनिधित्व हो, उसमें आप चाहते हैं कि :

"Persons of ability, integrity and standing who have had experience in law or legislation, trade unionism, management of an industry or organisation committed to increasing the employment potential of women, women's voluntary organisations (including women activists), administration, economic development, health, education or social welfare".

इतने जो आपने मांगा है कि इनके प्रतिनिधि इसमें रखना चाहिए ताकि विमेन कमीशन एक ऐसा कमीशन हो जिसमें सब तरह के लोगों के विचारों का प्रतिफलन हो और समाज के सभी वर्ग के महिलाओं का विकास का और उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो प्राब्लम्ज हैं, उनको दूर करने का एक रास्ता हो, यहएक सुखर प्रतिनिधि संस्था बने तो मेरे ख्याल से आज के दिन में 7 सदस्यीय समिति होने से यह संभव नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 11 सदस्यीय समिति अगर यह होती तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरी बात यह मैम्बर सेक्रेटरी के बारे में कही गई कि किनको बनना चाहिए। तो उसमें भी आप्शन रखा गया है :

"an expert in the field of management, organisational structure or sociological movement." This means a private or a non-governmental person.

"Or an officer who is a member of a civil service of the Union or of an all-India service or holds a civil post under the Union with appropriate experience."

इसमें मुझे लगता है कि दोनों धारायें जो दी गई हैं, धारा "सी" के अन्दर एक और दो, दोनों में कोई मेल नहीं बैठता। सरकार इस पर विचार करे कि किस व्यक्ति को मैम्बर सेक्रेटरी रखना चाहिए और अगर वालंटरी एजेंसीज के तहत किसी को रखना है तो वह भी दिमाग बना ले कि हमारे कमीशन का काम कौन ज्यादा अच्छा कर सकता है या सरकारी पदाधिकारी ही अच्छा कर सकते हैं, तो वह भी साफ-साफ करना चाहिए। दूसरी बात मैं और यहां कहना चाहूंगी कि कुछ क्लाजेज दिए हैं कि चेयर पर्सन और मैम्बर्ज वह किस हैसियत से, वह किस वक्त रह सकते हैं कब उनको हटाया जा सकता है तो मेरे मन में एक शंका है। इसमें एक प्रोविजो दिया हुआ है और क्लाज 4 के सब क्लाज 3 के अंत में एक प्रोविजों है :

"That no person shall be removed under this clause until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter."

जो इसमें होना चाहिए था, जब रूल फ्रेम किया जाए तो उसमें करना चाहिए कि Untill a person has been given a show cause notice and a reasonable opportunity within a specified time limit. वर्ना यह काफी वेग रह जाएगा और इसका मंशा पूरा नहीं होगा... (समय की घंटी)... महोदय, मुझे दो-चार मिनट का समय और चाहिए। तीसरी बात, मैं यह कहना चाहती हूं कि दो-चार जगह इसमें थोड़ी-सी प्रिंटिंग इरर है, उसे शुद्ध कर देना चाहिए। इसमें पेज नंबर 2 के क्लाज-8 के सब-क्लाज-2 (ए) में मुझे एक अशुद्धि लगी—

"Such number of persons, who are not members of the Commission, at it may think". It should be "as it may think".

इस में एज इट में थिंक होना चाहिए उस को तो खैर लोग सुधार लेंगे। चेप्टर-3 में एक जगह क्लाज-10 (आ) में यह कहा गया है कि यह कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम-टू-टाइम रिपोर्ट करेगी। यह तो बिल्कुल ठीक है। यह तो है ही कि कमीशन या गवर्नमेंट पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगी। तो यह जो टाइम है, इसे स्पेसिफाइड करना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिनों के बाद कमीशन अपनी एक्टिविटीज की रिपोर्ट करेगी क्या हर तीसरे महीने में करेगा या छः महीने में करेगा? वह एक स्पेसिफाइड पीरियड होना चाहिए इसको वेग नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई रिपोर्ट सालों तक नहीं आएगी और कभी जल्दी भी आ जाएगी। इसलिए काम का लेखा-जोखा बराबर होते रहना चाहिए और इसे वेग नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो इस विधेयक के मातहत जब रूल बनाया जाए तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरे इस क्लाज को एक धारा-8 है, इसमें दिया है कि—

"undertake promotional and educational research so as to suggest ways of ensuring due representation of women in all spheres and identify factors responsible for impeding their advancement, such as, lack of access to housing" etc. etc.

इसमें मुझे यह कहना है कि नेशनल कमीशन आन वोमेन को एक फंडिंग एजेंसी नहीं बनना चाहिए क्योंकि प्रत्येक मिनिस्ट्री से अलग-अलग विषय पर अलग फंड्स लिए जाते हैं। महोदय, मैं नेशनल एडवायजरी कमेटी आन इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट की मेंबर थी और अभी भी हूं। मैं पहले एक बैठक में गयी तो उसमें एक दस्तावेज दिया गया और सौ के करीब रिपोर्टस के नाम गिनाए गए कि इतनी स्टडीज और इतनी रिसर्च हुई है। उसमें कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिनका कि काम ही था कि प्रोजेक्ट सबमिट करो और सरकार से पैसा लेकर रिसर्च करो। यह एक पेशा है। तो मैंने उस समय कहा था कि रिपोर्ट देना, रिसर्च करवाना अच्छी बात है, लेकिन मैं यह चाहती हूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है, यह लागू कहां-कहां हुआ है? जो रिपोर्टस आई हैं, उन को देखने के लिए दिया जाए। बाद में वह हम लोगों को दिखाई गयी। उसके बाद जब मैंने कहा कि इस में कौन-कौन सी रिकमंडेशंस इम्प्लीमेंट हुई हैं, वह भी बताया जाय, तो महोदय, आप को सुनकर आश्चर्य होगा कि जितने दस्तावेज हम लोगों के सामने थे, उसमें से किसी एक की रिकमंडेशन भी लागू नहीं हुई थी। तो मैं यह कहना चाहूंगी माननीय मंत्री ऊषा बहन को कि इसमें बहुत सतर्कता बरतनी होगी कि इस कमीशन को फंडिंग एजेंसी नहीं बनना है क्योंकि एक तो इस के पास साधन ही कम है और दूसरे उस साधन को हम अगर वालेंटरी आर्गनायजेशन को रिसर्च करने के लिए देंगे तो फिर हमारा कोई काम नहीं हो पाएगा। जहां कहीं यह बहुत आवश्यक हो, कमीशन अपनी विज्डम में यह सोचे कि अगर दूसरी एजेंसी के द्वारा रिसर्च होगी तो उसका रिजल्ट सही नहीं होगा, हम करेंगे तभी होगा, तो केवल उस क्षेत्र में बनाया जाए, नहीं तो नहीं बनाया जाए। (समय की घंटी) महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी....

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): माननीय सदस्या से मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि असल में समय निर्धारित है और वक्ताओं की सूची बहुत बड़ी है। हालांकि सदन को और मुझे भी सुनने में अच्छा लग रहा है... (व्यवधान)...

श्रीमती कमला सिन्हा : मैं तो समाप्त रकने वाली थी आपने मुझ टोक दिया।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: (कर्णाटक) : महिलाओं का सब्जेक्ट है, थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आप थोड़ा सुन लें, मुझे इस बात से प्रसन्नता हो रही है कि महिला आयोग के संबंध में इतनी जीवंत चर्चा यहां हम कर रहे हैं अधिकतर वक्ता महिलाएं हैं और महिला मंत्री यहां बैठी हैं। खुशी की बात होती कि मेरी जगह पर उपसभापति भी महिला बैठतीं जो इसमें और भी अच्छा रहता। मुझे आप सब ने यह गौरव दिया है और अपनी श्रेणी में रखा है, मैं अपने को गौरवान्वित समझ रहा हूं। लेकिन एक अनुरोध मैं जरूर करना चाहता हूं कि जैसे शुरूआत में टोका-टोकी हुई, समय बर्बाद हुआ, उस तरह से न हो, महिला और पुरुष में ठीक है संघर्ष हो जाय, टोकाटोकी संभव है, लेकिन महिला महिला में यह नहीं। यही मैं अनुरोध करना चाहता हूं। कमला जी, आप एक मिनिट में समाप्त करें।

कुमारी सरोज खापर्डे : उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा संरक्षण तो आप ही दे रहे हैं तो आपके होते कोई टोका-टोकी होने की संभावना नजर नहीं आ रही है।

श्रीमती कमला सिन्हा : महोदय, इस विधेयक की जो सबसे बड़ी खासियत है, आप अगर देखेंगे तो वह—फंक्शन्स आफ दी कमीशन। इसमें मैं जिस काम के लिये अपनी सरकार को बधाई देती हूं, वह यह है कि यह केवल कागज का टुकड़ा ही नहीं होगा बल्कि यह सशक्त विधेयक बनने वाला है क्योंकि इसमें एक क्लाज यह भी है कि यह कमीशन—

"participate and advise on the planning process of socio-economic development of women"

महोदय, यह बड़ी बात है कि महिलाओं के लिये जो भी योजनाएं बनेंगी, जो भी सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रम बनेंगे, उसमें महिला आयोग प्लानिंग कमीशन को सलाह देगी, उसमें शिरकत करेगी, उसकी राय की कीमत होगी। महिलाओं के विकास के जो तरह-तरह के काम हो रहे हैं, उसमें यह इवेल्यूएट करेगी, उसमें देखेगी कि उसका कार्यान्वय सही मायने में हो रहा है या नहीं हो रहा है और अगर कहीं पर भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे वह जेल में हो, चाहे रिमांड-होम में हो, चाहे महिलाओं की किसी इंस्टीट्यूशन में हो, कहीं पर भी हो, जहां कि महिलाएं कस्टडी में हैं तो वहां भी जाकर यह, इनके सदस्य या कमीशन या कमीशन के द्वारा बनाई गई कमेटी देख सकेगी।

महोदय, बाकी बातों को ओर न जाकर, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब यह रूल बने तो रूल बनाते समय सरकार को यह ध्यान में रखना होगा कि टाईम-फ्रेम के अन्दर बने। हम लोगों ने देखा हैं कि कानून तो बहुतेरे बनत हैं, लेकिन वह कानून इसलिये लागू नहीं हो पाते क्योंकि विभाग उसके लिये रूल समय पर नहीं बनाते। हम लोगों ने सब-आर्डिनेट लेजिस्लेटिव कमेटी में देखा है, यहां का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बिहार

4.00 P.M. प्रांत में जब मैं विधायक थी, तो मैंने देखा कि सब-आर्डिनेट लेजिस्लेटिव कमेटी के पास बहुत से विधेयक ऐसे आते थे, जिसके रूल बनाने में पांच-पांच साल की देरी हो जाती थी और वे विधेयक लागू नहीं हो पाते थे। जैसी कि एक कहावत है, चूंकि मैं औरत हूं, इसलिये औरतों का ही उदाहरण बताऊंगी कि खाना बनाइये, हंडिया का चावल एक साथ बटोइए तो पता चल जाता है कि चावल पका या नहीं। अब एक प्रांत की यह हालत हो या पूरे देश की हो, सभी एक ही तरह की झलकती हैं। इसलिये मैं चाहूंगी कि विधेयक के पारित होते ही एक-दो महीने के अन्दर-अन्दर इसका रूल बन जाय ताकि यह विधेयक लागू होने में, इसको सशक्त तरीके से, सही मायने में लागू करने में यह सरकार सफल हो सके।

अंत में, पुनः मैं प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, कल्याण मंत्री राम विलास पासवान जी और उपमंत्री श्रीमती ऊषा सिंह को धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि इन्होंने यह विधेयक लाने का काम किया। जहां तक महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व देने की बात है, नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष श्री एन० टी० रामाराव ने अपने आंध्र प्रदेश में 30 प्रतिशत महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया है और मैं समझती हूं, जैसा हमारी सरकार भी चाहती है कि पंचायत विधेयक जब आएगा तो उसमें 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को पंचायत स्तर से दिया जायेगा, जो ग्रास-रूट लेवल पर ही देना चाहते हैं और आगे चलकर आवश्यक होगा तो महिलाओं के लिये विशेष आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध भी हमारी सरकार करेगी। आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदया, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ...**(व्यवधान)**...

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश) : माननीय आपको महिला नजर आ रहे हैं ?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : क्योंकि वे चाहते थे कि महिला उपाध्यक्ष हो इसलिये उन्हें शायद एतराज न हो कि जब इस महिला आयोग पर चर्चा चल रही है तो उन्हें महिला से संबोधित कर दिया जाए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : ठीक है, लेकिन महोदय से भी काम चल जायेगा। महोदया आप अपने लिये सुरक्षित रखिये।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार पर जो दाय था और जिस दायबद्धता को सिद्धांततः आज से करीब 16 वर्ष पहले स्वीकार किया गया था लेकिन उसके बावजूद जिस पर अमल नहीं किया गया, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार अपने इस विधेयक के जरिये महिलाओं के प्रति अपनी उस दायबद्धता को पूरा करने जा रही है और इसलिये मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का अभिनन्दन करती हूं।

महोदय, इससे पहले कि मैं इस विधेयक के विभिन्न नुक्तों पर जाऊं और अपनी राय जाहिर करूं, मैं चाहूंगी कि इतिहास के उन रास्तों को भी थोड़ा सा टटोला जाय, उन ऊबड़ खाबड़ रास्तों को देखा जाये जिन पर होते हुये आज हम इस विधेयक को लेकर आये हैं ताकि अतीत की रोशनी में हम वर्तमान को समझ सकें। अतीत में क्या खामियां थीं, अगर उन खामियों की हम सही ढंग से पड़ताल कर पायेंगे तो निश्चित रूप से अपने वर्तमान को भी सही रूप दे पायेंगे।

महोदय, जहां तक महिलाओं के संबंध में विभिन्न योजनाओं का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महिलाओं की स्थिति के संबंध में बनी कमेटी ने अपनी 25वीं रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की थी कि दुनिया के तमाम देश अपने-अपने देशों में महिलाओं के संबंध में एक केन्द्रीय निकाय का गठन करें और मैं उस कमेटी की रिपोर्ट को उद्धृत करना चाहूंगी। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि:—

> "वे अपने देशों में महिलाओं की स्थिति के बारे में राष्ट्रीय आयोग या इसी प्रकार के निकाय का गठन कर एवं पुरुषों तथा महिलाओं के बीच समानता हासिल करने तथा राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रों से महिलाओं को पूरी तरह से जोड़ने के कामों की समीक्षा करें उनका आकलन करें तथा आवश्यक कदम और प्राथमिकताओं का सुझाव दें।"

25 वीं रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर ही हमारे देश में महिलाओं की स्थिति के संबंध में 1971 में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने 1974 में अपनी रिपोर्ट दी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

में इस बात की सिफारिश की थी, जिस को मैं उद्धृत करना चाहूंगी:—

"इस प्रकार के वैधानिक स्वयंशासी आयोग का गठन केन्द्र तथा सभी राज्यों में किया जाय ताकि समग्र रूप से हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिये सुनियोजित ढंग से काम किये जा सकें।"

महोदय, इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद 16 वर्षों का लम्बा समय बीत चुका है और इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर ही हम एक पूरा दशक महिला दशक के रूप में भी मना चुके हैं और उस समय इस भारत वर्ष की प्रधान मंत्री भी एक महिला ही थीं और महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए मौखिक बातों की भी कहीं कोई कमी नहीं थी। खासकर श्रीमती गांधी की हत्या के बाद जब द्रवित हृदय से भारत की महिलाओं ने मातृ-शोक से पीड़ित पुत्र की झोली को अपने वोटों से भर दिया, उस समय महिलाओं की राजनीतिक शक्ति को अलग से पहचानने की कोशिश और ज्यादा जोर-शोर से शुरू हुई और महिलाओं को लुभाने के लिए नए-नए नारे दिए जाने लगे। हालांकि यह सच है कि इससे पहले भी चुनाव में शासक पार्टी की ओर से महिलाओं के लिए बिंदियां बांटी जाती थीं। तो यह प्रक्रिया, महिलाओं को नारों से लुभाने की कोशिशें और ज्यादा तेज होती गई और महिलाओं को इन नारों के जरिए लुभाने की इस प्रक्रिया में ही हमारे सामने बहुचर्चित, बहुप्रसारित राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना आई। इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का पूरी तरह से महिलाओं का वोट लुभाने के लिए राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। लेकिन... **(व्यवधान)**...

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): महोदय, महिलायें ही हमें लुभाती रही हैं, हम कहां महिलाओं को लुभाते रहे हैं।... **(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: वह तो देखेंगे अपनी शक्ल, पता नहीं किस दिन महिलाओं ने लुभाया उनको।... **(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): माननीय सदस्य सहानुभूति के पात्र हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: धन्यवाद, आपकी इस प्रतिक्रिया के लिए।... **(व्यवधान)**

लेकिन महोदय मेरा समय जा रहा है। महोदय, मैं आपका ध्यान... **(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष जी, जोगी जी के समर्थन में एक शेर याद आ गया—

"मेरे चेहरे पे उगी दाढ़ी के इजाफ़े को न देख,

मेरे ख़त के मजमून को पढ़ मेरे लिफ़ाफ़े को न देख।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं... **(व्यवधान)**

श्रीमती सरला माहेश्वरी: अगर... **(व्यवधान)** काबिल होगा तब देखा जायेगा ... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): सरला जी, एक बात मैं आपको... **(व्यवधान)**

SHRIMATI MARGRET ALVA: My objection to the whole debate is that it degenerated into a kind of *mela*. This is not the time... *(Interruptions)*..

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): सरला जी, मैं चाहता हूं अपनी बात रखें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में योजना का परिप्रेक्ष्य क्या था यह आपके सामने रखने जा रही थी। दुर्भाग्य से दूसरा परिप्रेक्ष्य उन्होंने खड़ा कर दिया। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का जो परिप्रेक्ष्य था कि महिलाओं को किस तरह कांग्रेस के स्थाई वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सौभाग्य से हिन्दुस्तान की तमाम महिला संगठनों ने राष्ट्रीय

परिप्रेक्ष्य योजना की ढोल में पोल जो थी, उसको तमाम महिलाओं के सामने रख दिया और जब यह साबित हो गया, जब यह जान लिया गया कि इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का अब चुनाव में और ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा तब चुनाव आयोग की तमाम मान-मर्यादाओं का उल्लंघन करके जब चुनाव की घोषणा हो गयी थी तब भी महिलाओं के लिए अंतिम बम का गोला दागा गया—इंदिरा महिला योजना के नाम पर। तो महोदय, यह हकीकत है कि किस कदर महिलाओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजनाओं का इस्तेमाल किया जाता रहा है। जहां तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का सवाल है, मैं यह कहना चाहूंगी कि यह परिप्रेक्ष्य योजना महिलाओं से संबंधित विशेषज्ञों को लेकर तैयार की गई थी और तमाम महिला विशेषज्ञों ने अपनी राय जाहिर की थी। लेकिन जहां तक इस परिप्रेक्ष्य योजना में महिलाओं की वस्तुस्थिति का आकलन किया कि समाज में उनकी क्या स्थिति है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है, इस संबंध में उसका मूल्यांकन सटीक था। लेकिन इसने जो भी सिफारिशें की उन सिफारिशों में कहीं भी एक केन्द्रीय विधायी निकाय के स्थापना की कहीं कोई सिफारिश नहीं की गई थी। फलतः यह परिप्रेक्ष्य योजना एक ऐसे सुझाव-पत्र की तरह थी जो तमाम मंत्रालयों को यह सिफारिश तो करती थी कि आप महिलाओं के संबंध में अपने-अपने कामों को अंजाम दें लेकिन इसके लिये किसी एक केन्द्रीय निकाय की स्थापना की व्यवस्था नहीं की गई थी और न ही उसकी सिफारिश की गयी थी तो इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगी कि यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना वास्तव में महिलाओं के लिए चिंताओं का स्वांग तो करती थी कि वह बहुत गंभीर है लेकिन इसकी असलियत हाथी के दांत की तरह ही—दिखाती कुछ थी करती कुछ थी इसकी असलियत क्या थी... (व्यवधान) यह मैं स्वयं तत्कालीन युवा मामलों के मद में, आप पर भी आ रही हूं मंत्री महोदया... (व्यवधान) मैं इनके लिए नहीं बोल रही हूं, यह जब भी अतीत की बात में कह रही हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : अब आप अपनी बात कहें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : युवा मामले, खेल तथा महिलाओं और बच्चों के विकास की तत्कालीन राज्यमंत्री श्रीमती मारग्रेट अल्वा जिनके नेतृत्व में वह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गयी थी उस परिप्रेक्ष्य योजना की रिपोर्ट की भूमिका में उन्होंने जो लिखा उसको मैं उद्धृत करना चाहूंगी। श्रीमती अल्वा आज हमारी इस सदन की सम्मानित सदस्य भी हैं। उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट की भूमिका में लिखा था कि "इस योजना के लिए और ज्यादा पूंजी नियोजन या और संसाधनों की कोई मांग नहीं की गई है। इसका लक्ष्य सभी स्तरों पर विकास के कार्यक्रमों का नया आयाम तथा उनके प्रति एक नई जिम्मेदारी पैदा करना और कुछ संक्रमणकारी कदमों के रूप में महिलाओं के लिए ऐसे विशेष हस्तक्षेप-कारी कदमों का सुझाव भर देना है ताकि महिलायें सन् 2000 तक मुख्यधारा के साथ अपनी संगति बिठा सकें।

महोदय, यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना हमारे सामने है। मुझ से पहले बोलने वाली वक्ता जो यहां इस समय नहीं बैठी हैं, श्रीमती जयंती नटराजन, उन्होंने राष्ट्रीय आयोग की आलोचना करते हुए कहा था कि इसमें कोई पैसा नहीं है और बिना पैसे के इसका काई अर्थ नहीं है। जब वे यहां थीं तो उन्हीं की पार्टी की मंत्री ने जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तयार की, उसमें उन्होंने बिना पैसे के

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

बिना धन के ही, केवल इच्छाओं के जरिए ही सब काम हासिल कर लेने चाहे थे। तो महोदय, यह जग जाहिर है कि किस तरह की यह योजना थी। यह बात सर्वविदित है कि बिना संसाधनों के अथवा बिना नियोजन के किसी भी योजना का वास्तव में कोई भी पूर्ण नहीं होता। थोथे वायदों से महिलाओं के वोट बटोरने की कोशिश की इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं फिर उनको साधुवाद देती हूं कि बार-बार तमाम महिला संगठनों के द्वारा सुझाये गए संशोधनों को स्वीकार करने के बाद अब यह जो अंतिम प्रारूप हमारे सामने आया है वह काफी कुछ प्रभावी जान पड़ता है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूं।

महोदय, यह जो विधेयक आया है महिलाओं के संबंध में, मैं समझती हूं कि इसके जरिए पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में एक ऐसे केन्द्रीय विधायी निकाय का गठन होगा जिसके जरिए महिलाओं की तमाम समस्याओं, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं पर यह निकाय सिर्फ प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं करेगा बल्कि ठोस कार्यवाही करने में भी सक्षम होगा। इस तरह के अधिकार इसको दिए गए हैं। तो निश्चित रूप में जब इस आयोग की गतिविधियां नियमित रूप से आगे बढ़ेंगी तो इसका समाज पर भी असर होगा। यह जो अधिकार दिया गया है, विभिन्न क्षेत्रों में जो असंगतियां हैं, उन असंगतियों की जांच करेगा तो इससे निश्चित रूप में समाज पर इसका असर होगा। इससे एक जनजागरण पैदा होगा और हम चाहते हैं कि यह आयोग महिलाओं के बीच में जागृति फैलाने का काम करे और महिलाओं के बीच में चेतना फैलाने का हथियार बन सके ताकि महिलायें उस हथियार का इस्तेमाल करके समाज में उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों के विरुद्ध जो बंद दरवाजे हैं, उन बंद दरवाजों पर दस्तक दे सकें। यदि महिला आयोग की और महिला जन आंदोलन की जोरदार दस्तकें लगातार उन अत्याचारियों के बंद किवाड़ों पर पड़ेगी तो उनका असर अवश्य होगा। इसमें मुझे संदेह नहीं है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं की समस्याओं के संबंध में भारत सरकार के रवये का प्रश्न है, उस संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय योजनाकारों के जहन में शुरू से ही महिलाओं के संबंध में चिंताओं का सूत्रपात हो गया था। सन् 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था और उसमे यह सिफारिश की गई थी कि महिलाओं को महिला मंडलों के अंतर्गत तथा अन्य ऐसी संस्थाओं के अंतर्गत संगठित किया जाएगा लेकिन हकीकत क्या थी--जिसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में भी स्वीकार किया गया था--कि भारत मे महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए इस तरह के कल्याणमूलक दृष्टिकोण से ही काम नहीं चल सकता था। महिलाओं के उत्थान के लिए एक व्यापक और विकासमूलक दृष्टिकोण की जरूरत है। महिलाओं की स्थिति के संबंध में गठित कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को जाहिर किया था कि 25 बरसों की आजादी के बावजूद महिलाओं की स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। तो यह हमारे लिए चिंता की बात है। यह कमोबेश वैसी ही स्थिति है जो हम अपनी तमाम योजनाओं के दौरान देखते आ रहे हैं। भारत मे करीब सात पंचवर्षीय योजनायें अब तक लागू की गई हैं और हर पंचवर्षीय योजना का यही लक्ष्य था कि बेरोजगारी दूर करेंगे लेकिन हर पंचवर्षीय योजना के बाद बेरोजगारी दूर होने के

आबादी बढ़ती गई। बेरोजगारी की वृद्धि की दर भी बढ़ती गई। यही हाल महिलाओं का रहा है कि महिलाओं के लिए जितनी बातें कही जाती रहीं उनको इनका लाभ कुछ नहीं मिला और हालत यह है कि 1981 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत में 75 प्रतिशत महिलायें निरक्षर हैं। विकास का आलम यह है कि हम उन्नति कर रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं, कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल शिशु कन्याओं को मारने के लिए किया जा रहा है। इस प्रगति का लाभ महिलाओं को किस तरह से मिला कि अतीत में तो कन्याओं को निर्मम ढंग से मार दिया जाता था, आज उन्हें थोड़ी दया के साथ मारा जाता है। कल्याण-मूलक दृष्टिकोण से विकास मूलक दृष्टिकोण तक आते आते परिणाम यह हुआ कि तमाम उद्योग धंधों में महिलाओं की छंटनी हो रही है। उद्योग धंधों में ही नहीं, कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं की छंटाई हो रही है और इस बात को स्वीकार किया गया है कि आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के चलते अनेक उद्योग धंधों में महिलाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। आधुनिकीकरण की पहली मार महिलाओं के रोजगार पर पड़ी है। इसी प्रकार की स्थिति औद्योगिक क्षेत्र में है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी योजनाओं और मूल्यांकन दस्तावेजों के बावजूद महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता क्योंकि समाज सिर्फ कानून की परवाह नहीं करता। कानून किस तरह से तय होंगे यह सामाजिक शक्तियों के संतुलन पर निर्भर करता है। जब तक सामंतशाही का प्रभुत्व रहेगा तब तक महिलाओं की स्थिति सुधर नहीं सकती। इसलिए यह जरूरी है कि समाज सामंती तत्वों के नागपाश से जकड़ा हुआ है उसको इससे छुड़ाएं क्योंकि इस नागपाश को तोड़ने के लिए कोई गरुड़ देवता नहीं आएगा बल्कि महिलाओं का दल ही आगे आएगा जो इसको तोड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि ऐसी अर्थपूर्ण व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिससे महिलाओं को जीने का हक मिल सके। महिलाओं को इस तरह कार्य करना चाहिए कि महिलाओं को प्रतिरोधक शक्ति के रूप में खड़ा करने में हम कामयाब हो सकें। मेरी पूर्ववक्ता माननीय सदस्या ने अपने वक्तव्य के दौरान कहा था कि हमारे प्रधान मंत्री सामंती दृष्टिकोण के फंदे में जकड़े हुए हैं। प्रधान मंत्री का सामंती दृष्टिकोण है या प्रगतिशील दृष्टिकोण, इसके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन जिस प्रधान मंत्री का प्रगतिशील दृष्टिकोण था वह अगर मजहब के नाम पर वोट हासिल करने के लिए जो 21वीं सदी में ले जाने की बात करते थे वह 21वीं से 14वीं सदी में महिलाओं को ले जा सकते हैं तो वह सामंती दृष्टिकोण है या प्रगतिशील, यह आप लोग समझ सकते हैं... **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय सदस्या... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : पांडे जी, महिलाओं वाले इश्यू पर तो आप चुप रहिये। महिला सदस्या बोल रही है तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिये।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : अब मैं अपने संशोधनों पर आती हूं... **(व्यवधान)** महिलाओं के काम की बात हो रही है। आप भी सुनें तो सबके काम आयेगी। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि इस आयोग का गठन नेतृत्वकारी महिला संगठनों की भूमिका से सुनिश्चित किया जाय और इसे सात सदस्यों के बजाय और विस्तार दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस विधेयक की धारा 3 में जहां महिलाओं के लिये राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया है, उसमें खंड 3(ख) में कहा गया है--

"पांच सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से, जिन्हें विधि या विधायन, व्यवसाय संघ, आंदोलन, ऐसे उद्योग या संगठन के प्रबंध जो महिलाओं की नियोजन संभाव्यताओं की वृद्धि के लिये समर्पित है, स्वैच्छिक महिला संगठन (जिनके अन्तर्गत महिला कार्यकर्त्री भी है), प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण में अनुभव है, नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे"

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

इन तमाम क्षेत्रों से जब आप महिला को लेंगे तो इसमें महिला संगठनों के प्रतिनिधियों की संख्या नगण्य होगी जब कि मैं यह समझती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग को जीवन्त आयोग के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिये महिला संगठन की भूमिका इसमें जरूर होनी चाहिये । इसलिये मेरा यह सुझाव है और मैं संशोधन पेश कर रही हूं :

"पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 16 और 17 में उल्लिखित "स्वैच्छिक महिला संगठन (जिनके अन्तर्गत महिला कार्यकर्ता भी है) को हटा दिया जाय।"

'पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 20 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाये :

'नेतृत्व कार्यकारी स्वैच्छिक महिला संगठन जिनके अन्तर्गत महिला कार्यकर्ता भी है के आयोग के लिये भारत के राष्ट्रपति चार सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेंगे । नेतृत्व कार्यकारी स्वैच्छिक महिला संगठनों का चयन उनके सदस्यों की कुल संख्या की जांच के आधार पर किया जायेगा ।"

इस प्रकार से 3(2)ग की जगह घ हो जायेगा । ऐसा करके महिलाओं के प्रति वास्तविक जिम्मेदारी बनी रहेगी । इसके अलावा दूसरा संशोधन और है कि इसको ज्यादा से ज्यादा स्वायत्ता देने के लिये जहां भी इसमें केन्द्रीय सरकार का उल्लेख है वहां पर 'केन्द्रीय सरकार' को हटाकर 'भारत का राष्ट्रपति' का उल्लेख कर दिया जाय ताकि केन्द्रीय सरकार की मनमानी पर निर्भर न हो। अतीत में हमने देखा है कि ऐसी संस्थाये जिनको राजनीति से ऊपर माना जाता है चुनाव निकाय तरह की संस्था, उसका भी शासक पार्टी ने दुरुपयोग किया है। ऐसा आयोग जो पूरी तरह से अपनी संरचना में सरकार के ऊपर निर्भर है। मैं चाहूंगी कि आयोग स्वायत्त ढंग से काम कर सके इसके लिये जरूरी है कि 'केन्द्रीय सरकार' की जगह 'भारत का 'राष्ट्रपति' कर दिया जाय । महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : माननीय उपासभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं । मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं ।

दरअसल भारत में महिलायें इस देश की आधी जनसंख्या होते हुये भी सबसे बड़ा अल्प संख्यक समुदाय है जिसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करना, ना ही उनकी कोई अहमियत है । उसके बारे में लिये जाने वाले निर्णय लेने में, खुद उसकी दखलंदाजी की मनाही है। यही वजह रहीकि स्त्री संबंधी कानून में बार बार संशोधन की जरूरत पड़ती रही । इस राष्ट्रीय महिला आयोग बना देने से ऐसा समझा जा रहा है कि यह आयोग महिलाओं के उन अधिकार को दिला सकेगा जो अब तक आये महिला संबंधी नियम कानून आदि, सरकार का यह मानना है कि यह महिला पर होने वाले अत्याचार, शोषण, हिंसा, बलात्कार के विरोध में यह महिलाओं को न्याय दिलाने में कारगर साबित होगा ।

वैसे तो मैं कोई भी सरकार द्वारा महिलाओं के लिये हर उस प्रयास का स्वागत करूंगी जो उनको थोड़ी भी सहूलत के लिये किया गया हो । लेकिन साथ ही मैं राष्ट्रीय महिला आयोग को पूर्ण नहीं मानती । इसमें बहुत सी कमियां रह गई हैं उनकी ओर ध्यान दिलाना अवश्य चाहूंगी ।

आज देश के सामने एक बार फिर यह सवाल आया है कि यह महिला आयोग जो कि सिर्फ चुनावीवादा पूरा करने के लिये लाया गया है। भारतीय महिलाओं पर सरकारी शोषण जैसा—कि हम कई बार देखते है कि सरकार ही सबसे पहले शोषण महिलाओं पर करती हैं । सरकारी स्तर पर स्त्री पुरुष में असमानता, पुलिस तंत्र व समाज द्वारा महिलाओं पर अत्याचार, सामाजिक शोषण

व उनके संपूर्ण विकास करने की दिशा में कुछ मददगार साबित होगा। आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा है कि कल राजस्थान में सती का महिमा मंडल हुआ तो वह भी कानून का उल्लघंन हुआ। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इसका कोई भी विरोध नहीं करती हैं। इस तरह का जो सरकारी शोषण है उसमें यह बिल कोई कारगर साबित होगा यह प्रश्नचिह्न होगा। भारतीय स्त्री की समस्या मुख्यतः कानून व कानूनी उल्लघंन न होकर सामाजिक रूढ़िवादितायें, पुरुषों की स्त्रीयों के प्रति मनोवृत्ति, धर्म के नाम पर अत्याचार, कर्तव्य के नाम पर शोषण आदि है। मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि आयोग के पास ऐसा कौन सा प्रावधान है जो औरत पर होने वाले अत्याचार व शोषण के खिलाफ़ फौरन न्याय दिला सके। इस आयोग में है केवल अनुसंधान, अन्वेषण, पुनर्विलोकन व सुझावों की लम्बी प्रक्रिया व न्याय के लिये लंबा इंतजार। अतः इस आयोग को हम महिलाओं की समस्याओं की समन्वित एजेंसी कहें तो ठीक है। यह आयोग स्वयं कोई कदम न उठाकर एक डाकघर जैसी एजेंसी का काम करेगा।

मुझे इस पर भी आश्चर्य है कि यह बिल लोक सभा में बिना गंभीर बहस, बिना कोई गैर-सरकारी संशोधन के पास कर लिया गया।

श्री यशवन्त सिन्हा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने लोकसभा पर कामेंटस किया है कि बिना गंभीर बहस के यह बिल पास कर दिया गया। मैं समझता हूं कि इन्होंने लोकसभा की बहस का जिक्र किया है जो इस सदन में करना उचित नहीं है।

श्रीमती वीणा वर्मा : मुझे खेद है और मैं अपने शब्द वापस लेती हूं।

वे महत्वपूर्ण संशोधन भी इसमे नहीं आये जो पिछले माह विभिन्न महिला ग्रुपों द्वारा मीटिंग में रखे गये थे। एस.सी.एस. टी. कमीशन जैसा होने पर भी इस आयोग को स्वायत्ता नहीं प्रदान की गई है। रेडियो और दूरदर्शन को स्वायत्ता देने वाली सरकार महिलाओं के आयोग को न तो स्टेच्यूटेरी बोडी का रूप दे पाई है और न स्वायत्ता ही दे पाई। महिलाओं को समानता न देने में सबसे बड़ी बाधक स्वयं सरकार है।

कल्याण मंत्रालय, उसके अन्य विभाग, समाज कल्याण बोर्डों का गठन भी, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है जो कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने जिम्मे लिये हैं। महिलाओं के सर्वांगीण विकास, आपत महिलाओं की सहायता, शोषण से रक्षा, हर समस्या का समाधान व निष्कर्ष के लिये इन बोर्डों की स्थापना की गयी थी तथा महिला कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने के लिये तंत्र का विकेन्द्रीकरण किया जाय। लेकिन इस आयोग में सत्ता का केन्द्रीयकरण होगा। इस दृष्टि से महिला आयोग इस सबका डुप्लीकेशन होगा। यह आयोग केवल उतने ही अधिकार का प्रयोग कर पायेगा जितना कोई भी राष्ट्र-स्तर की महिला संस्थायें प्रयोग करती हैं। इसकी स्थिति अनेक महिला संस्थाओं के एक महासंघ की जैसी होगी। इसके होने से समस्याओं का सरकारीकरण होकर रह जायेगा और देशव्यापी महिला संस्थाओं के समग्र और प्रगतिशील कार्य संचालन में शिथिलता आयेगी। महिला अधिकारों के सारे आन्दोलन ठप्प हो जायेंगे और स्त्री इस आयोग के मुंह की ओर देखने लगेगी।

यदि समाज कल्याण मंत्री के कथनानुसार इसे सिविल अदालतों के न्यायिक अधिकार दे भी दिये गये तो हर मामला अदालतों की तरह वर्षों लटक जाएगा और किसी महिला को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा हो कि महिलाओं की रोजमर्रा की समस्याओं के लिए लोक अदालत जैसी त्वरित न्याय देने वाली छोटी-छोटी अदालतें बनें तथा सिविल अदालतों की देर वाली न्याय पद्धति में सुधार हो।

[श्रीमती वीणा वर्मा]

महिलाओं की सुरक्षा, शोषण को रोकने व न्याय दिलाने में यदि कोई न्यायपालिका जैसा अधिकार सम्पन्न संस्था या आयोग गठित किया जाता तो यह कदाचित प्रभावी होकर अनेक समस्याओं को सुलझाता। मगर यह न कार्यपालिका है न न्यायपालिका है। अंततः महिलाओं को न्याय पाने के लिए न्यायालय का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अच्छा हो कि भारतीय बाल-कल्याण परिषद की भांति सरकार एक विभाग के रूप में महिला कल्याण परिषद की स्थापना करे। आयोग के गठन का सिलसिला पुराना गैर-प्रभावी व घिसापिटा हो गया है। इसके गठन से व्यवस्था पर कोई क्रांतिकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आयोग का चरित्र गैर-राजनैतिक हो और अनेकों महिलाओं की प्रभावी संस्थाओं का बिना किसी राजनीतिक दल के भेदभाव के औचित्यपूर्ण प्रतिनिधित्व हो तो शायद इससे ही आयोग बनाने का सही मकसद पूरा हो। अन्यथा यह जनता के पैसे पर एक सफेद हाथी ही होगा।

महिलाओं को अधिकार दिलाने की स्थिति ठीक ऐसी ही होगी कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को वैधानिक अधिकार होते हुए भी नौकरियां नहीं मिलती। एस०सी०एस०टी० पर अत्याचार जारी हैं। उधर महिलाओं पर हुए अत्याचारों को यदि स्थानीय पुलिस व अदालत अधिकार सम्पन्न होते हुए भी रोकने में असमर्थ है तो यह आयोग भी चीख पुकार करने के अलावा अपनी क्या उपयोगिता सिद्ध करेगा। यह तो बिना दांत व नाखूनों के शेर जैसा बनकर रह जाएगा जो गरजेगा दहाड़ेगा मगर आततायी की चीरफाड़ नहीं कर सकेगा। महिलाओं को करोड़ों की जनसंख्या व इस देश के आकार को देखते हुए आयोग में 10-11 सदस्यों का होना नगण्य है। इससे पूरी नारी जाति का सही प्रतिनिधित्व हो सकेगा यह संदेहास्पद है। इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 20 तक की जानी चाहिये।

देश में बहुत बड़ी संख्या आदिवासी हरिजन, पिछड़ा वर्ग, गरीब व दलित-वर्ग की स्त्रियों की है। अतः इन सब तरह की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले बिना इस आयोग का स्वरूप राष्ट्रीय कैसे होगा व इस तरह के प्रतिनिधित्व बिना आयोग इनकी समस्याओं का कैसे निराकरण कर पायेगा? कहना न होगा कि इसमें कोटा प्रतिनिधित्व की बात भी नहीं कही गई है।

जहां तक भेदभाव के मुकदमों का व्यय वहन करने का प्रश्न है इसके लिये मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान अदालतों में पहले से ही है। अतः मुकदमे के खर्चे के नाम पर आयोग वकीलों से मिलकर धन का दुरुपयोग नहीं करेगा- इसकी क्या गारंटी है?

शहर और गांव दोनों स्थानों पर महिलाओं की अलग-अलग तरह की समस्याओं को हल करने के लिए दो करोड़ रुपये की राशि में यह आयोग कैसे सफलता से काम करेगा। इसके बजट को बढ़ाना चाहिए।

महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, पर घर पर होने वाले जो अत्याचार हैं उसका सबसे मुख्य कारण आर्थिक कारण है। इसलिये उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये मैं यहां पर अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहला सुझाव मेरा यह है कि औरत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिये पत्नी को पति की संपत्ति में शादी के दिन से ही आधा अधिकार दिलवाने के लिये संविधान में संशोधन करना होगा। मैं आशा करती हूं कि महिला मंत्री जी इस ओर कदम उठायेंगी। (**समय की घंटी**) उपसभाध्यक्ष जी मैं आपसे थोड़ा सा समय चाहूंगी:

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): आप जानती हैं कि दलों का समय निर्धारित होता है आवंटित होता है ... (**व्यवधान**)... आप दूसरे माननीय सदस्यों का समय ले रहे हैं हमें इस पर क्या एतराज हो सकता है। ... (**व्यवधान**)... उनकी बात शांतिपूर्वक सुने।

श्रीमती वीणा वर्मा : आयोग के सिफारिशों को न मानने वालों व उनको लागू न करने वाले राज्यों व व्यक्तियों के लिये भी दंड का प्रावधान होना चाहिये।

आयोग को कार्यपालिका के स्वरूप के साथ-साथ न्यायपालिका का रूप भी दिया जाना चाहिये।

देश के विकास कार्यों के लिए धन का 50 फीसदी हिस्सा महिलाओं को दिया जाना चाहिये।

देश की प्लानिंग प्रक्रिया में महिला आयोग द्वारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित अवश्य किया जाना चाहिये। इस बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिये। एक प्रश्न मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या आयोग की इन्क्वायरी समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही एफ०आई०आर० लिखवाई जा सकेगी? पिछली सरकार द्वारा चलाई जा रही 27 लाभ प्रधान योजनाओं का लाभ उन असहाय और गरीब महिलाओं को नहीं मिल रहा है। इस आयोग से भी ज्यादातर अभिजात वर्ग की महिलाओं का कल्याण ही होने की संभावना है गरीब किसान और मजदूरों की बेटियों, ऐसे घरों की महिलाओं को तब तक इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक कि आयोग में पिछड़े वर्ग, अनपढ़ मगर अनुभवी और कृषि में लगी महिलाओं को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जायगा भारत की महिलाएं अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा चूल्हे-चौके और चक्की मे गुजार देती हैं। इसकी कहानी खुद आंकड़े कहते हैं। एक भारतीय स्त्री औसतन अपनी जिंदगी के 8.38 वर्ष रसोई घर मे गुजारती है। इन आंकड़ों को भी हम पूर्ण नहीं कहेंगे क्योंकि इसमे भोजन बनाने से पहले की तैयारी व बाद के कार्य शामिल नहीं हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो एक महिला की औसत उम्र 50 वर्ष हैं तो उसमें से 16.66 प्रतिशत हिस्सा वह रसोई घर में लगा देती है। न्यूनतम मजदूरी का पैमाना लगाकर भी गृहस्थ महिलाओं के काम-काज के इन हजारों घंटों की मजदूरी कितनी बैठेगी इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। यह भी काबिले गौर है कि महिलाओं को प्रताड़ित करने में रसोई घर के पर्यावरण का सबसे बड़ा हाथ है। स्वास्थ्य की कीमत पर रोजाना जिंदगी के कई कीमती घंटे किचन में गुजार देने की गतिविधि को आर्थिक रूप में मान्यता न देना क्या उसके प्रति अन्याय नहीं है। आयोग को, इस तरफ ध्यान देना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था गरीबी पूरी तरह से महिलाओं पर टिकी है

औरत चाहती है एक सड़क—
जिस पर वह चल सके
सुबह, शाम, दोपहर और रात को भी
जिस पर दरिन्दे न घूमते हों
जिस पर शिकारी शिकार न ढूंढते हों
जिस पर वह चल सके, अपनी मर्जी से
अकेले और कभी किसी के साथ भी।

औरत चाहती है एक घर—
जो उसका अपना हो
जहां वह "पराया धन" न हो
जहां वह वंश चलाने का तंत्र न हो।

औरत चाहती है एक सपना—
खुद अपना बुना हुआ
थक चुकी है वह औरों के सपने ढोते ढोते
अग्नि परीक्षा की आग में बड़ी पीड़ा है
अपने होने के अहसास को जला देने वाली
अस्तित्व गवां कर नहीं चाहिये उसे सती की पदवी।

औरत चाहती है
पैर के नीचे दो गज जमीन
और सर के ऊपर एक मुट्ठी आसमान।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : धनकर जी, सभी लोग इतनी अच्छी कविता सुन रहे हैं। केवल आपको मैं पूरे सदन में देख रहा हूं जो बात कर रहे हैं। मेरा निवेदन होगा कि आप भी सुन लें (व्यवधान)

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI JAGDEEP DHANKAR): I am beholden to you.

श्रीमती वीणा वर्मा : मैंने भाषण न देकर सोचा कि कुछ अलग तरह का कहूं जो सबको अपील करें।

औरत चाहती है
पैर के नीचे दो गज ज़मीन
और सर के ऊपर एक मुठ्ठी आसमान

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : एक मुठ्ठी आसमान

कुमारी सरोज खापर्ड : माथुर साहब एक मुठ्ठी आसमान आप नहीं समझेंगे।

श्रीमती वीणा वर्मा : लेकिन उत्पादकता का किंचित मात्र भी श्रेय उसे नहीं जाता। कृषि में महिलाओं की भूमिका और योगदान के संबंध में खाद्य और कृषि संगठन का कहना है कि संपूर्ण विश्व में कुल मिला कर जितने घंटे काम होता है उसमें दो तिहाई घंटे काम केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। पारिवारिक खेती में आधी से ज्यादा जिम्मेदारी महिलाओं द्वारा निभाई जाती है लेकिन उसे उत्पादक नहीं माना जाता।

स्वयं अधिक तौर पर घर का कामकाज देखने वाली महिलाओं के श्रम को भी आर्थिक रूप से अन्न-उत्पादक माना जाता है। जनगणना संबंधी दस्तावेज-एक पारिश्रमिक के लिये काम करने वाले खानसामे को तो आर्थिक रूप से सक्रिय उत्पादक माना जाता है लेकिन एक गृहणी को वह आर्थिक रूप से सक्रिय नहीं मानता भले ही वह पैसा लेकर काम करने वाले कामगार से कहीं ज्यादा काम क्यों न करे। चुल्हे-चौके से फुर्सत मिलने के बाद अधिसंख्य महिलायें सिलाई-बुनाई जैसे घरेलू काम करके आय की बचत करती हैं। अन्त में चाहूंगी कि जनगणना करते समय व्यवसाय के कालम में गृहस्थ महिलाओं के कामकाज के घंटे भी नोट किये जायें।

स्त्रियां हमारे देश के कामकाजी शक्ति का एक चौथाई हिस्सा है। 54 प्रतिशत स्त्रियां कृषि कार्यों में लगी हैं। भूमि के अधिकार का कानून स्त्रियां को भूमि पर कोई कानून नहीं देता राष्ट्र की आय का 70 प्रतिशत स्त्री श्रम से जमा होता है। राष्ट्र का दो तिहाई उत्पादन करके भी स्त्रियां 10 प्रतिशत संपत्ति की अधिकारिणी होती हैं। (**समय की घंटी**) इसको भी आयोग को महत्व देना होगा। आप बार बार घंटी बजा रहे हैं मैं अन्त में यही कहना चाहूंगी कि इस राष्ट्रीय महिला आयोग से महिलाओं की क्या अपेक्षायें हैं। इसको एक बड़ी सुन्दर कविता में किसी कवयित्री ने बांधा है। आपकी इजाजत हो तो मैं कहूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : जरूर।

श्रीमती वीणा वर्मा : औरत क्या चाहती है, इस राष्ट्रीय महिला आयोग से महिलाओं की अपेक्षा क्या है—

सुनो,
औरत क्या चाहती है?
औरत चाहती है एक खेत—
जिस पर वह खून को पसीना बनाकर बहा सके
जिसके पौधों को सहला सके
जिसकी लहलहाती बालियों को चूम सके
जिसे अपना कह सके।

औरत चाहती है एक जिन्दगी—
जिसे वह खुद जी सके
अपनी मर्जी से
अपने सपनों के लिये
सपना जो समाज का हो सकता है—
अवाम का हो सकता है—
बेबसों का
दलितों का
मजदूरों का हो सकता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, आज इस सदन में मेरा

यह प्रथम वक्तव्य है। मेरे लिये यह सुखद संयोग है कि आपकी अध्यक्षीय छाया के तले मुझे इस सदन को पहली बार संबोधित करने का अवसर मिल रहा है। वैसे तो इस सदन की यह परम्परा है कि पहली बार बोलने वाले सदस्य को समय सीमा में नहीं बांधा जाता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : लेकिन 5 बजे प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य देना है, इसे आप ध्यान में रखें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसके बाद आप आगे कंटीन्यू करने के लिये कहें... **(व्यवधान)** लेकिन आपके संरक्षण में मैं बिल्कुल निर्बाध रूप से अपनी बात कह सकूंगी ऐसा एक विश्वास मन में जग रहा है।

श्रीमन्, आप स्वयं एक साहित्यकार हैं और आप जानते हैं कि भारत में नारी को लेकर परस्पर विरोधी कथ्य कहे जाते रहे हैं। कभी तो मनु ने--

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:"

जैसी उक्ति कह कर नारी को पूजा और अर्चना के योग्य बताया और कभी तुलसी ने-

> "ढोर, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी"

कहकर नारी को प्रताडना के काबिल ठहराया कभी कबीर जैसे संत ने-

"नारी की झाईं परत, अंधा होत भुजंग, कबिरा तिनकी का गति जो नित नारी संग"

जैसा दोहा कहकर नारी को तिरस्कार की वस्तु बताया। तो कभी आधुनिक कवि ने-

> "अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
> आंचल में है दूध और आंखों में पानी"

जैसी पंक्तियां कहकर नारी को तरस के काबिल ठहराया। श्रीमन, यदि यह बात केवल साहित्य तक सीमित रहती तो शायद बहुत शोचनीय बात नहीं थी। लकिन आप जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसलिये ये जो बात जगह-जगह पर युग के साथ कहीं गयीं, ये समाज की नारी के प्रति मनोदशा दर्शाती है और सबसे दुख की बात यह है, महोदय, कि हिन्दुस्तान में डेढ़ दशक तक लगभग 15 साल तक एक महिला प्रधान मंत्री का शासन रहा तो भी एक सामान्य महिला का जीवन स्तर जितना उठना चाहिये था उतना नहीं उठा और यह बात एक हकीकत है। इस बात को मेरी दायीं ओर की बहिनें भी सिर हिलाकर स्वीकृति दर्ती क्यों यह एक तथ्य है एक हकीकत है... **(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे : मैं सहमत नहीं हूं आपकी बात से।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप हकीकत से आंख मोड़े तो वह अलग बात है। लेकिन यह एक ऐसी हकीकत है सरोज जी कि अगर यह हकीकत न होती तो इस शोचनीय दशा का वर्णन उधर बैठी हुई बहिनें भी नहीं करतीं। बहिन वीणा वर्मा जी को एक अलग से विधेयक लाने की आवश्यकता नही पड़ती। ये ऐसी चीज हैं जिनसे हम आंखे नहीं मोड़ सकते हैं। आज आजादी को 43 वर्ष हो गये, आज भी नारी जन्म से लेकर मरण तक विभेद का शिकार होती है। क्या सरोज जी इस बात से इंकार कर देंगी कि आज भी जब लड़के का जन्म होता है तो नगाड़े बजाये जाते हैं, बधाइयां दी जाती हैं, प्रीति भोजों का आयोजन होता है, उत्सव मनाये जाते हैं।

कुमारी सरोज खापर्डे : यहां इंदिरा जी का क्या कसूर है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : एक समाज की मनोदशा की बात कर रही हूं।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

सरोज जी अगर आज आप मुझे निर्विघ्न रूप से अपनी बात कहने दें तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी।

एक माननीय सदस्य : सुनो भाई.. **(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे : मैं उनको इंटरप्ट नहीं करती हूं। मुझे उनके लिये बहुत आदर है। मैं उनको सुनना चाहती हूं। आप इंटरप्ट हमें करते हैं। दोनों के बीच खाई पैदा करने का काम मत कीजिये। बिल्कुल मत बोलिये··· **(व्यवधान)** हमको आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : देखिये, सुषमा जी आप अपनी बात कहें। न आप इधर देखिये, न उधर।

श्रीमती सुषमा स्वराज : इतनी गंभीर चर्चा चल रही है, मैं सदन से अपेक्षा करूंगी कि इसको इतनी ही गंभीरता से सुना जाय।

लेकिन, श्रीमन्, आज भी अगर लड़की का जन्म होता है तो पूरे घर के माहौल में उदासी छा जाती है, घर के लोग सिर पर हाथ रखकर निराशा प्रकट करते हैं। और मैं तो एक ऐसे क्षेत्र से आती हूं हरियाणा में आज भी कुछ ऐसी जगह हैं कुछ ऐसे जिले हैं और हिन्दुस्तान में तो बहुत से ऐसे जिले होंगे जहां भी लड़की का जन्म होने पर बाकायदा मातमी दरी बिछाई जाती है आसपास की पड़ोसनें आकर के अफसोस करती हैं और यह कह करके अफसोस करती हैं कि "कोई बात नहीं बहिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। फिर तेरी गोद हरी करेगा" माने कि लड़की के पैदा होने पर मां की गोद हरी नहीं मानी जाती। उसका बांझपन दूर नहीं होता। लड़का पैदा होगा, तभी उसकी गोद हरी होगी।

इस तरह का मातम होता है, इस तरह का अफसोस होता है। केवल जन्म की बात नहीं है, उसके बाद लालन-पालन का विभेद शुरू होता है। एक पंगत में भाई और बहिन को एक साथ बैठा करके जो दुभात से परोसा जाता है, लड़के की थाली में बिना कहे उसकी कटोरी में दाल में घी डाला जाता है, पर लड़की मांग भी ले, तो कहा जाता है-"घी खा कर क्या हल में जुतेगी" ऐसे ताने, उलाहने देकर के उसे डांटा और फटकारा जाता है और ऐसी फटकार सुन करके वह बेचारी ललचाई आंखों से अपने भाई की थाली देखते हुए अपनी नियति पर संतोष कर लेती है।

श्रीमन्, सोचा था कि विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ यह भेद-भाव समाप्त होगा, यह पक्षपात कम होगा, शिक्षा का प्रकाश हमारी आंखें खोलेगा, लेकिन मुझे दुःख है, बहिन सरला माहेश्वरी ने उस बात का जिक्र किया था कि वैज्ञानिक प्रगति भी कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए और ज्यादा शोषण का कारण बनी है। पहले तो जन्म के बाद विभेद शुरू होता था, अब तो विज्ञान ने ऐसे-ऐसे यंत्र पैदा कर दिये हैं, ऐसी-ऐसी मशीनों का निर्माण कर दिया है जहां गर्भ में ही बच्चे के लिंग का पता चल जाता है और भ्रूण परीक्षण की प्रवृत्ति दिनों-दिन समाज में बढ़ रही है और इस भ्रूण परीक्षण का एकमात्र परिणाम यह है कि अगर गर्भ में कन्या है, तो गर्भपात करवा दिया जाता है। आज जन्म से पहले कन्या को मारने की प्रवृति इस समाज में जन्म ले रही है और दिनों-दिन बढ़ रही है।

विज्ञान के साथ-साथ ही विज्ञापन का युग भी आरम्भ हुआ और उस विज्ञापन की पहली शिकार महिला है। नारी के नग्न शरीर का प्रदर्शन विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है और दुःख तब होता है, जब ऐसी चीजों का जिनका नारी से कोई ताल्लुक नहीं है, महिलायें जिसको इस्तेमाल नहीं करती हैं, उसको भी प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से नारी के साथ जोड़ा जाता है।

अश्लील प्रदर्शन नारी के नग्न शरीर का होता है।

दहेज की बलि वेदी पर नव-वधुओं को चढ़ा दिया जाता है। बाल-विवाह निरोधक कानून के रहते हुए आज भी आठ-आठ, नौ-नौ, दस-दस साल की कन्याओं के विवाह हो रहे हैं। यही वह सारी कुरीतियां हैं, महोदय, यही वह सारी पृष्ठ-भूमि है, जिसके चलते राष्ट्रीय महिला आयोग जैसा विधयक लाने की आवश्यकता महसूस हुई। बार-बार महिला प्रतिनिधियों ने, कभी सेमिनार करके, गोष्ठी करके, आंदोलन करके, वर्षों से इस बात को कहा कि एक ऐसा आयोग बनना चाहिए, क्योंकि कानून तो बहुत से हैं, आज भी बहुत से हैं, लेकिन कहा कि पीसमील लेजिस्लेशन के द्वारा महिलाओं का भला नहीं होगा, एक ऐसा आयोग स्थापित कर दिया जाए, एक ऐसा कमीशन बना दिया जाए, जो केवल महिलाओं से वाबस्ता हो, जो एक जगह बैठ करके महिलाओं के लिए बने हुए कानूनों का अध्ययन करे, उनमें जो संशोधन चाहिएं आज के युग के अनुकूल, उनको वह सुझाये कोई नया कानून लाने की जरूरत है, तो उनको लाये, या जो कानून मौजद हैं, उनके लागू होने पर, उनके अमल करने पर निगरानी रखे कि आया उनका अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है।

मैं उस अतीत की तमाम बातों में नहीं जाना चाहती, जो कड़वाहट पैदा करेगी वह पृष्ठभूमि हम सब को पता है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के कायम होने के बाद की बात मैं करना चाहती हूं कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सत्ता में आने के बाद एक सिलसिला शुरु किया, हर वर्गों से बातचीत का, कि विभिन्न वर्गों की समस्यायें क्या हैं, यह जानने के लिए उनके प्रति-निधियों को बुलाया, उनसे बात की और उनसे सुझाव मांगे।

इसी सिलसिले के चलते एक बैठक प्रधान मंत्री के नेतृत्व में महिला प्रति-निधियों को बुलाई गई, जिसमें सांसद भी शामिल थी, महिलाओं के विभिन्न वर्गों में काम करने वाली महिलायें भी शामिल थी। वहां उनसे बातचीत हुई। मैं स्वयं भी उसमें शरीक थी। तो हमने उनसे एक ही बात कही कि यहां बैठ कर अलग-अलग हमारे दुखड़े सुनने की बजाए और हमारे सब के अलग-अलग सुझाव लेने की बजाए, अगर आप एक आयोग कायम कर दें, एक ऐसा कमीशन बना दें, जहां पर गाहे-बगाहे हम बात करती रहें। जिसका काम ही केवल महिलाओं से वाबस्ता हो, महिलाओं से संबंधित हो, तो हमारी वर्षों से चली आ रही बड़ी मांग पूरी हो जाएगी।

मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने इस मांग को स्वीकार किया और कहा कि बहुत जल्दी ही विधि मंत्री के साथ एक बैठक कुछ महिला प्रतिनिधियों को बुलायेंगे। जहां बैठ करके इस विधेयक के प्रारूप के ऊपर बात की जाएगी। उन्होंने अपने आश्वासन के अनुसार विधि मंत्री, श्री दिनेश गोस्वामी जी के यहां एक बैठक बुलाई, जहां महिलाओं से विचार-विमर्श हुआ, बातचीत हुई कि किस तरह का विधेयक हम चाहते हैं, क्या उसका स्वरूप होना चाहिए, क्या उसका कार्यक्षेत्र होना चाहिए, क्या उसके पास शक्तियां होनी चाहिएं और उस सारी चर्चा-परिचर्चा के बाद एक विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। लेकिन महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि वह विधेयक जिस स्वरूप में प्रस्तुत किया गया था वह स्वरूप नहीं था जो हम चाहते थे। हम चाहते थे एक महिला आयोग, जो स्वायत्त हो, जिसे काम करने की स्वतंत्रता हो, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, ऐसा एक आयोग बने। लेकिन जो विधेयक लोक सभा में पेश किया गया उसका स्वरूप एक सलाहकार बोर्ड से ज्यादा नहीं था। उसके ऊपर केन्द्र सरकार का जरुरत से ज्यादा नियंत्रण था। इसलिए जैसे ही वह विधेयक प्रस्तुत हुआ, उस पर चर्चा नहीं हुई, सत्रावसान हो गया। उस बीच में महिला संगठनों ने अलग-अलग गोष्ठियां कीं, अलग-अलग उस पर विचार प्रकट किए। उस पर एडीटोरियल्ज आए और अखबारों में प्रकाशित किए गए और हर जगह यह कहा गया कि यह कमीशन नहीं यह तो केन्द्र सरकार का एक विभाग बन जाएगा। तो इस तरह

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

का एक विभाग तो पहले ही बना हुआ है जिसका नाम कल्याण विभाग है । जो महिलाओं के बारे में देखता है, बच्चों के बारे में देखता और इसके अलावा राज्यों में निगम बने हुए हैं महिला विकास निगम वगैरह जो महिलाओं के विकास के लिए काम करते हैं । योजनाएं बनाते हैं । अगर केवल इस तरह की ही चीज चाहिए तो फिर उन्हीं से मतलब हल हो सकता था जो चीजें चल रही हैं तो उसी में ही एक और चीज वैसी ही ऐड कर देना हमारा तात्पर्य नहीं होना चाहिए इसलिए काफी विरोध इस विधेयक का हुआ और बड़ी आपत्तियां इस पर जाहिर की गई । ये सारी चीजें जब सरकार के गौर-नजर आईं तो श्री राम विलास पासवान ने एक बैठक बुलाई जिसमें सारी महिला सांसदों को बुलाया, महिला संगठनों को बुलाया और कहा, बताइये आपके क्या विचार हैं । वहां खुल कर चर्चा हुई और वहां जो आपत्तियां हमारी थीं अलग-अलग आपत्तियां वह उसके सामने रखी गईं । भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने तो अलग से गोष्ठी की और उस गोष्ठी में जो हमारी आपत्तियां थीं उसको हमने लिखित रूप में सरकार को भेजा और कहा कि जिस तरह का स्वरूप हम चाहते थे यह वैसा विधेयक आप नहीं लाए हैं । इस तरह का एक एडीशन नहीं चाहिए । मैं बहन वीणा वर्मा को संबोधित करके कहना चाहती हूं कि उन्होंने इस विधेयक के बाद यह कहा कि कमीशन तो यूं ही रस्मी होगा, ऐसा ही एक विभाग बनना चाहिए जैसे बाल कल्याण परिषद् बनी हुई है । मैं उनसे कहना चाहूंगी कि नहीं, जो विधेयक का पुराना प्रारूप था वह वैसा ही था एक परिषद् जैसा, केवल केन्द्र सरकार का एक नया विभाग खड़ा हो जाता जिसका काम सरकार को सलाह देना होता । जो अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजता । उसको सरकार माने या न माने यह उनके ऊपर होता, निर्भर करता । हमने तो उसको बदल-वाया है । आप कहती हैं लोक सभा में गंभीर बहस नहीं हुई, मेरे पास वह दोनों प्रारूप हैं जो लोक सभा में प्रस्तुत हुआ था और जिस तरह से पारित हुआ ये दोनों चीजें मेरे सामने हैं। अगर उन दोनों प्रारूपों की तुलना करें तो आप पाएंगे कि उसमें आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। जो स्वरूप आया था उस स्वरूप को कतई बदल करके एक नया स्वरूप आज लोक सभा ने पारित हो करके सामने आया है। मैं उन दो चीजों का कुछ जिक्र करना चाहूंगी। जहां तक पहली दो धाराएं हैं वह तो आपको मालूम है हर विधेयक में औपचारिक होती हैं, व्याख्या होती है, विस्तार होता है। धारा नम्बर तीन से बिल का प्रारंभ होता है। धारा नम्बर तीन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक तो यह कि पहला जो प्रारूप था उसमें था कि पैनल आफ् चेयरमैन दिया जाएगा जिसमें से सेन्ट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, अब कहा गया है कि कोई पैनल आफ़ चेयरमैन नहीं होगा। लेकिन सब से बड़ा जो इसमें परिवर्तन हुआ है, वह यह है कि पहले यह प्रावधान था कि पांच सदस्य होंगे। अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्य होंगे और उन पांच सदस्यों में से कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का नहीं है तो सह-योजना की व्यवस्था होगी, को-आप्शन की व्यवस्था होगी ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का भी एक व्यक्ति को आप्ट कर लिया जाए। एक-एक व्यक्ति दोनों का को-आप्ट कर लिया जाए। लेकिन अब वहां एक चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकला और सरकारी संशोधन आया और प्रारूप बदल करके इसमें मैंडेटरी कर दिया गया था कि जो 5 सदस्य हैं उनमें से एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जन जाति का नामांकन करना ही पड़ेगा और यह सही भी है। कोई इलैक्शन तो है नहीं जहां आप कहें कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का नहीं आए तो आप टें दें। जब आपको नामांकन करना है, अपनी तरफ से नोमीनेट करना है तो आप उन्हें मैंडेटरी क्यों नहीं करते कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का एक-एक सदस्य होगा। तो अब इसमें लोक सभा की चर्चा के बाद

यह संशोधन हुआ है और यह इसमें परिवर्तन आया है कि अब जो सदस्य संख्या है उसमें से एक अनुसूचित जाति का और एक अनुसूचित जन जाति का अवश्य रूप से होगा ही और सहयोजन की व्यवस्था को काट दिया गया। यह संशोधन तो बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन अब इसमें दो और संशोधन हमारी बहनों की तरफ से आए हैं। बहन जयन्ती नटराजन ने एक संशोधन रखा है जिसमें उन्होंने एक तो यह चाहा है कि यह पाबंदी लगा दी जाए कि कोई भी राजनीतिक महिला इसकी अध्यक्ष न बने। मुझे समझ में नहीं आता कि इसके पीछे उनका क्या तर्क है? वह स्वयं राजनीति में काम करने वाली बहन है और ऐसा मान लेना कि राजनीति में काम करने वाली बहन, महिलाओं के विकास के प्रति उत्थान के प्रति समर्पित नहीं होंगी, यह एक बहुत बड़ा लांछन होगा। आम तौर पर ब्यूराक्रेट्स या दूसरे लोगों को तो कहते सुना जाता है और आजकल यह कहना एक फैशन बन गया है कि हमारी संस्था नान पालिटिकल है, इसमें हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं आने देंगे। हमारा यह फोरम नॉन-पालिटिकल है। जैसे पालिटिक्स कोई छूत का रोग है, पालिटिकल कोई ऐसी चीज है जिसको छूना नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूं कि राजनीति में काम करने वाली महिलाएं, महिलाओं के ज्यादा नजदीक आती हैं। जब हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो एक-एक व्यक्ति के पास जाकर उसकी मनोदशा देखने का मौका मिलता है। झुग्गी-झोंपड़ी में जाकर देखने को मिलता है कि महिलायें कैसे रहती हैं, यह स्वाभाविक रूप से हम को मौका मिलता है। तो यह पाबंदी लगाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। महोदय, मैंने उनका एक यह तर्क भी सुना और उन्होंने एक नाम विशेष का उल्लेख कर कहा कि बहिन प्रमिला दंडवते का नाम चल रहा है। उनका नाम नहीं होना चाहिए। मैं बहिन जयंती जी से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगी कि किसी नाम विशेष को दृष्टि में रखते हुए किसी तर्क को गढ़ना तर्कसंगत नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। आपका प्रमिला दंडवते के नाम से कोई विरोध हो सकता है, लेकिन एक नाम विशेष को दृष्टि में रखते हुए तमाम राजनीतिक महिलाओं पर यह पाबंदी लगा देना कि वह अध्यक्ष नहीं होंगी, यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। यह बहुत बड़ा अन्याय उन महिलाओं के साथ होगा जो राजनीति में काम कर रही हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। मैं यह समझती हूं कि उनका यह जो संशोधन है, यह तर्कसंगत नहीं है और उन्हें इस संशोधन पर अड़ना नहीं चाहिए।

दूसरे, उन्होंने संशोधन दिया है कि जो नामजदगी का काम हो, वह प्राइम मिनिस्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई प्रतिनिधि, लीडर आफ द अपोजीशन या चीफ जस्टिस आफ इंडिया की मरजी से होना चाहिए। मैं यह कहना चाहती हूं कि हम और जगह पर भी तो नामजदगी में सरकार पर भरोसा करते है। यहां आप संदेह की बात क्यों कर रहे हैं और फिर हर व्यक्ति का अपना एक कार्य क्षेत्र होता है। चीफ जस्टिस आफ इंडिया, न्याय के बारे में तो बहुत पारंगत हो सकते हैं, लेकिन कौन महिला कार्यकर्त्री कैसा काम कर रही है, इसके बारे में विशेषज्ञता उन्हें होगी या जानकारी उन्हें होगी और वह सही सलाह दे सकेंगे, यह जरूरी नहीं है। इसलिए यह पाबंदी लगाना कि चीफ जस्टिस आफ इंडिया की मरजी से नामजदगी हो, इसमें भी मुझे कोई बहुत अच्छा तर्क दिखायी नहीं देता।

दूसरा एक संशोधन बहिन सरला माहेश्वरी जी की तरफ से आया। उनका यह कहना है कि इस में जो यह प्रावधान है कि स्वैच्छिक संस्थानों से भी महिलाएं ली जाएंगी, तो स्वैच्छिक संस्थानों से महिलाएं उन स्वच्छिक संस्थानों की सदस्य संख्या के आधार पर ली जाए। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि यह कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। यह एक कमीशन है। बहुत-सी स्वैच्छिक संस्थाएं ऐसी होंगी जिनकी सदस्य संख्या कम होते हुए भी ज्यादा प्रभावी ढंग से कामकर रही होंगी, ज्यादा समर्पित भाव से काम कर रही होंगी। इसलिए एक पाबंदी लगा देना कि जिसकी सदस्य संख्या ज्यादा होगी, उसी स्वैच्छिक संस्था को इसमें मौका

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

मिलेगा, इसमें कोई बहुत न्यायसंगत बात उन स्वैच्छिक संस्थानों के लिए नहीं होगी जो कम सदस्य संख्या रहते हुए भी बहुत प्रभावी ढ़ंग से अपना काम कर रही है।

[माननीय उपसभापति पीठासीन हुई]

उपसभापति महोदया, माननीय उपसभाध्यक्ष जी ने अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि यदि इस बिल पर बहस होते समय, चर्चा होते समय कोई महिला पीठासीन होती तो ज्यादा अच्छा रहता। मेरा यह सोभाग्य है कि आधी चर्चा मैंने पुरुष की अध्यक्षता में की और अब आधी से ज्यादा चर्चा का मौका मुझे महिला की अध्यक्षता में मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत सोभाग्यशालिनी मानती हूं क्योंकि आज मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है और मुझ दो-दो अध्यक्षों की अध्यक्षता में अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है।

उपसभापति : प्राब्लम्स तो पुरुषों ने क्रिएट की है, तो कभी उन को भी बैठना चाहिए।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपसभापति जी, भगवान शंकर अर्ध-नारीश्वर माने गए हैं।

उपसभापति : यह चैयर अब अर्ध-नारीश्वर हो गयी है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : पाण्डेय जी का यह वायदा था कि जब मैं बोलूंगी तो वह बिल्कुल नहीं टोकेंगे। अब वायदाखिलाफी कर रहे हैं।

उपसभापति जी, मैं यह कह रही थी कि स्वैच्छिक संस्थानों पर यह पाबंदी लगाना कि सदस्य संख्या के आधार पर आएं, यह उचित नहीं होगा। इसलिए इस संशोधन पर भी बहिन सरला माहेश्वरी जी को अड़ना नहीं चाहिए।

महोदया, एक सुझाव मैं यह देना चाहूंगी कि बहुत से क्षेत्र रखे गए हैं जिनसे कि सदस्य नामांकित किए जाएंगे—जैसे ट्रेड यूनियन मनेजमेंट और बाकियों क्षेत्र हैं। लेकिन इसमें एक प्रमुख क्षेत्र अछूता रह गया है जिसकी ओर मैं मंत्री महोदया का ध्यान दिलाना चाहूंगी। वह क्षेत्र है पत्रकारिता का। महिला पत्रकारों में से एक इस में जरूर-दर जरूर होनी चाहिए। उसके पीछे मेरा तर्क यह है कि महिला पत्रकार बहिन जब इसकी सदस्या होगी तो इस आयोग की कार्यवाही को समुचित प्रसार मिलेगा। हमारी एक कमी यह भी है कि महिलाओं के लिए यूं तो बहुत से कानून उपलब्ध हैं, लेकिन उन कानूनों की जानकारी बहिनों को नहीं है। तो अगर इसमें पत्रकार होगी तो आयोग की कार्यवाही को प्रसार मिलेगा। वैसे

5-00 p.m. भी जिन्होंने इतने क्षेत्र चुने हैं तो पता नहीं यह क्षेत्र कैसे अछूता रह गया। मैं चाहूंगी कि इसमें पत्रकारिता के क्षेत्र को भी शामिल करें मंत्री महोदया, क्योंकि यह एक ऐसा संशोधन है, जो मुझे लगता है, पूरे सदन द्वारा स्वीकृत होगा। इसमें कोई विभेद वाली बात नहीं है। मेरी दाईं ओर बैठी बहने और बाईं ओर बैठी बहन, दोनों ही इसको स्वीकार करेंगी।

एक माननीय सदस्य : और आगे बैठे भाई भी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : और आगे बैठे भाई भी समर्थन कर रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि राज्य सभा का यह पूरा सदन सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव करता है, इस सुझाव को मानना है कि इसमें पत्रकारिता का जो क्षेत्र अछूता रह गया है, उसको भी शामिल किया जाय।

उपसभापति : बस हो गया। आप कनक्ल्यूड कर दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं कनक्ल्यूड अभी कैसे कर दूं, उपसभापति जी, मेरा तो पहला वक्तव्य है, मिनिट तो मेरे दल को वैसे ही मिले हैं और फिर मुझे तो समय-सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। मैं तो आज जितना चाहूं, उतना कह सकती हूं। हां, अगर प्रधानमंत्री जी को समय पर वक्तव्य देने की विवशता हो तो मैं बैठ सकती हूं, अपना आगे का वक्तव्य कल दे दूंगी।

उपसभापति : हां ठीक है, । चूंकि पांच बजे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उनके वक्तव्य के बाद या कल, अगर आप मुझे जारी रखने की अनुमति दे तो मैं बैठ सकती हूं।

उपसभापति : उनका वक्तव्य हो जाय, उसके पश्चात या फिर बाद में आप कंटीन्यू कर लीजिए ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : ठीक है।

श्री सिकन्दर बख्त: महोदया, आधे भाषण के बाद दाद दी जा सकती है या नही ?

उपसभापति : आधी दाद दे दीजिए, आधी बाद में दे दीजिए। प्रधान मंत्री जी।

STATEMENT BY PRIME MINISTER

Incidents of firing by Pakistani troops in the Kupwara Sector on the line of action control in Jammu and Kishmir

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH); Madam,

The Kupwara Sector, on the Line of Control in Jammu & Kashmir, is one of the areas in which there have been continued attempts at infiltrations by Pakistan trained terrorists in recent months.

The Machhal sub-Sector, within the Kupwara Sector, is situated opposite village Kel in Pakistan Occupied Kashmir, Recently, our troops noted an intrusion in this area. On 12th August, 1990 our troops took appropriate action and eliminated this intrusion. The Pakistani Army attempted to interfere with these operations, using heavy weapons, including mortars and artillery. However, our troops succeeded in entirely clearing this area of the intrusion.

This incident was reported by the Pakistani media as an attack launched by our troops on their posts in that area. This was refuted by us.

After a lull, the Pakistani forces commeneced artillery fire at a number of our posts in the Machhal sub-Sector, from 20th August. Our troops in the area retaliated with appropriate fire. The exchange of fire is continuing, confined to this sub-Sector.

As per the existing arrangements, Directors General, Military Operations of the two countries are in touch with each other. There is no cause for any undue concern since we trust that these localised incidents will be contained and the situation difused. Our forces are fully prepared to effectively deal with any eventuality.

It is our sincere hope that there will be no recurrence of such incidents and that the Government of Pakistan will realise the need to fully abide by the Simla Agreement. This would be in keeping with the dialogue which we have initiated with the Government of Pakistan.

THE DEPUTY CHAIRMAN; I have lots of names before me. But, as decided, I am going to call one from each party and three from the Congress Party. Shri Gurudas Das Gupta. (*Interruptions*). I cannot be. This is the suggestion. We have arrived at an agreement on that. Otherwise, according to rules, I will have to call one from each party. I am calling three from the Congress Party and the party has given me some names.

SHRI V. NARAYANSAMY (Pondicherry): The National Front as a whole is one party.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : (उत्तर प्रदेश) : महोदया, जो पहले से कन्वेशन, परम्परा चली आ रही थी क्लेरिफिकेशन में, उसी के अनुसार जो सदस्य पूछना चाहे उन्हें पूछने दिया जाए और उनके अधिकार का हनन न किया जाए। ... **(व्यवधान)** ...

उपसभापति अधिकार कुछ नहीं है। आपके सामने यह बहुत दफा ... **(व्यवधान)** ...

डा० रत्नाकर पाण्डेय : जो नियम चला आ रहा था सदन का उसे तोड़ा गया है और अपनी अभिव्यक्ति का क्लेरिफिकेशन में जो